बिहार सरकार

जेन्डर बजट

2020-21

वित्त विभाग
बिहार सरकार

बिहार सरकार

जेन्डर बजट

2020-21

वित्त विभाग
बिहार सरकार

प्राक्कथन

राष्ट्र एवं राज्य के समावेशी, समतामूलक तथा सतत विकास के लिए जेंडर बजट की प्रासंगिकता है, जिससे महिलाओं को उनके अधिकार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ–साथ उनकी आर्थिक दक्षता में वृद्धि भी की जा सकेगी। महिलायें राज्य की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा है, अतः राज्य का विकास तभी संभव है जब महिलायें विकास में भागीदार बनें। यह भी उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी एवं केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किये गए 17 सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals) में लक्ष्य संख्या–5 ''पृथक रूप से लैंगिक समानता, महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण" पर ही केन्द्रित है।

जेंडर बजटिंग एक सतत प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि विकास का लाभ पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी प्राप्त हो। जेंडर बजट आयोजन में कार्यक्रम और नीति निर्माण, लक्षित वर्गों की आवश्यकताओं का आकलन, वर्तमान नीतियों और दिशा निर्देशों की समीक्षा, संसाधनों का आवंटन, कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, परिणामों का आकलन, संसाधनों की प्राथमिकताओं का पुनः निर्धारण जैसे विभिन्न परिप्रेक्ष्य का निरंतर आकलन किया जाता है।

जेंडर बजट आयोजना के अंतर्गत निम्न कार्य शामिल हैं :–

(क) पर्याप्त संसाधनों का आवंटन तथा महिला संवेदी कार्यक्रमों का निर्माण और कार्यान्वयन। इसके माध्यम से महिलाओं के प्रति नीतिगत प्रतिबद्धता एवं किये जानेवाले आवंटनों के बीच के अंतर को ख़त्म करना;

(ख) सार्वजनिक व्यय और नीति में महिला सरोकारों को मुख्य धारा में लाना;

(ग) सार्वजनिक व्यय, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा नीतियों का जेंडर ऑडिट कराना।

बिहार राज्य के संबंध में सूचकांकों का विश्लेषण करने के लिए कुछ प्रासंगिक संकेतक इस प्रकार हैंः–

बिहार में महिला एवं पुरूष के तुलनात्मक विकास संकेतक

क्र.	संकेतक	बिहार		भारत		स्रोत
		पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	
1	कुल आबादी (करोड़) (2011)	5.4	5.0	62.3	58.7	Census, 2011
2	लिंग अनुपात–सभी आयुवर्ग (2011)	1000	918	1000	943	
3	बाल लिंग अनुपात (0–6 वर्ष) (2011)	1000	935	1000	919	
4	कार्य सहभागिता दर (2011)	46.5	19.1	53.3	25.5	
5	साक्षरता दर (2011)	71.2	51.5	80.9	64.6	
6	साक्षरता दर (7–18 वर्ष) (2011)	81.66	76.25	89.68	86.76	

बाल लिंग अनुपात में, भारत (919) की तुलना में बिहार का बाल लिंग अनुपात (935) ज्यादा है। उपर्युक्त सूचक बिहार में महिलाओं की बेहतर स्थिति को प्रदर्शित करता है। परन्तु अन्य कई मामलों में जैसे लिंग अनुपात (सभी आयु–वर्ग) (918), कार्य सहभागिता दर (19.1) में उनकी स्थिति आज भी गंभीर है, जिसके सुधार हेतु ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

जेंडर बजट अभी पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं हुआ है। इसमें कुछ कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन धीरे–धीरे इसकी बेहतर समझ होती जा रही है। पिछले बजटों में लैंगिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ–साथ विभागों द्वारा कार्यक्रमों के उद्देश्यों, क्रियान्वयन संबंधी दिशा–निर्देशों, वित्तीय कसौटियों को महिलाओं के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है।

इसी आशा के साथ मैं वर्ष 2020–21 के लिए जेंडर बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं आश्वासन देता हूँ कि आगामी वर्षों में आप सभी के सहयोग एवं सुझावों से इस दस्तावेज को और बेहतर एवं आम लोगों के लिए और अधिक उपयोगी बनाया जा सकेगा।

बिहार में जेंडर बजटिंग

बिहार में वर्ष 2008–09 से जेंडर बजटिंग की शुरूआत की गई। इसमें सभी संबंधित विभागों द्वारा महिलाओं के लिए किए गए बजट उपबंध को योजनावार दर्शाया गया है। जेंडर बजट का प्रमुख उद्देश्य समाज में उत्पन्न असमानताओं को दूर कर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अग्रसारित करना है।

जेंडर बजट में फिलहाल दो श्रेणी हैं। श्रेणी–ए में उन योजनाओं का विवरण है, जिनमें शत प्रतिशत राशि महिलाओं के विकास पर खर्च की जाती है। वहीं श्रेणी–बी में वैसी योजनाएं हैं जिनमें 30 प्रतिशत से अधिक परन्तु 100 प्रतिशत से कम राशि महिलाओं पर खर्च की जाती है। इस व्यवस्था में निम्नांकित बिन्दु उल्लेखनीय है :

- प्रत्येक प्रक्षेत्र को महिलाओं के नजरिए से देखा जाय और तद्नुसार बजट में यथा–संभव प्रावधान किए जायें।
- यह आवश्यक नहीं है कि व्यय महिलाओं के लिए ही किया जाय वरन् यह आवश्यक है कि ऐसे व्यय से या कार्यक्रमों से महिलाओं की स्थिति में सुधार होता हो अथवा उनको लाभ पहुँचता हो। उदाहरणार्थ–पेयजल, सफाई एवं बच्चों का स्वास्थ्य। महिलाओं के लिए सीधे कर्णांकित नहीं है, लेकिन इसका सीधा प्रभाव महिलाओं की स्थिति सुधारने में होता है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का काफी समय एवं शक्ति इन कार्यों में खर्च होता है।

महिलाओं को लक्षित/विशिष्ट योजनाएं :

ऐसी योजनाओं के रूप में परिभाषित किया गया है जहां 100 प्रतिशत प्रावधान महिलाओं के लिए है।

प्रो–महिला योजनाएं :

उन योजनाओं के रूप में परिभाषित किया गया है जहाँ महिलाओं के लिए कम से कम से कम 30 प्रतिशत आवंटन को शामिल करते हैं या महिलाओं को लाभ पहुंचाते हैं।

विभिन्न विभागों द्वारा लागू की गई वैसी योजनाएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं या लड़कियों को लाभान्वित करती हैं। योजना के उद्देश्य, आउटपुट सह–परिणाम के आधार पर महिलाओं या लड़कियों को लाभ के मूल्यांकन का मापक एवं विश्लेषण जेंडर बजटिंग है, जो पथ प्रदर्शक के रूप में जेंडर समानता को और सुविधाजनक बनाने की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करता है।

जेंडर बजट : महिलाओं के लिए आवंटित कुल संसाधन

(राशि करोड़ में)

Details	2015-16	2016-17	2017–18	2018-19	2019-20	2020-21
Outlay for Women (BE)	11127.00	15077.00	20615.40	25573.80	30874.49	33176.27
Total Size of State Budget (BE)	120685.00	144696.00	160085.69	176990.27	200501.01	211761.00
Share (%) outlay for women in the state budget of Bihar	9.20	10.40	12.90	14.45	15.40	15.66
Outlay for Women as Percent of GSDP	3.0	3.5	4.2	4.96	5.39	4.83

Source: Department of Finance, Govt. of Bihar

महिला विकास के प्रयास

हाल के वर्षों में राज्य सरकार द्वारा लिए गए अनेक नीतिगत निर्णय एवं वित्तीय सुधारों के पहल के फलस्वरूप बिहार में महिलाओं की स्थिति में सुधार संभव हो सका है। राज्य में समतामूलक, सतत विकास की प्रक्रिया तथा समाज की मुख्यधारा में महिलाओं को जोड़ने तथा उनके विरुद्ध हो रहे भेदभावों को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कई प्रयास किये हैं।

राज्य की सभी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। पंचायती राज एवं नगर निकायों आदि में भी महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था से उन्हें राजनीतिक योगदान देने का अवसर प्राप्त हुआ है।

राज्य में महिलाओं की स्थिति में सुधार एवं उनके सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार दृढ़प्रतिज्ञ है, इस दिशा में कई प्रयास किये गए हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना, बालिकाओं में औपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री अक्षर आँचल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम–ज्योति योजना, हर घर बिजली योजना, राज्य महिला सशक्तिकरण नीति 2015, जिसके अंतर्गत राज्य में महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु हेल्प–लाईन योजना, अल्पावास, सामाजिक जागरूकता, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, वनस्टॉप सेंटर योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आदि प्रयासों के माध्यम से महिलाओं/बालिकाओं के लिए सार्थक प्रयास किये गए हैं।

इस सन्दर्भ में विगत वर्षों में किये गए महत्त्वपूर्ण प्रयासों का उल्लेख भी किया जाना प्रासंगिक है:

- अक्टूबर 2, 2017 को बाल–विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान शुरू किया गया। महिला विकास निगम एवं अन्य सरकारी विभागों द्वारा लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए मानव श्रृंखला जैसी मुहिम चलाई गई।
- बिहार आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2016 के लागू होने से पूरे राज्य में शराब के उपयोग व बिक्री पर पाबंदी लगा दी गयी। सरकार के इस निर्णय से महिलाओं के प्रति होनेवाले अपराध में काफी गिरावट आयी है। साथ ही आधी आबादी का पूर्ण समर्थन भी मिला है। पूर्ण शराब–बंदी कानून लागू होने से महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है।
- जीविका परियोजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभायी जा रही है।
- राज्य सरकार द्वारा बिहार सशस्त्र बल में नयी महिला बटालियन की तैनाती एवं राज्य के सभी जिलों में महिला थाना स्थापित किया गया है।
- बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति, 2015 के स्वाभाविक क्रियान्वयन के लिए अप्रैल, 2016 में जेंडर रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गयी और इसे समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा जेंडर बजटिंग के लिए राज्य आधारित प्रमुख एजेंसी के रूप में नामित किया गया।
- जेंडर रिसोर्स सेंटर द्वारा कार्यशाला, साक्ष्य आधारित नवाचारी अनुसंधान, प्रचार सामग्री तथा प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, स्वैच्छिक संगठनों एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा लाभुकों तक उन योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए राज्य आधारित ज्ञान प्रबंधन इकाई एवं संसाधन केंद्र के रूप में कार्य किया जा रहा है।

- समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने कई विकास कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैसे– (क) जल–जीवन–हरियाली अभियान (ख) मुख्यमंत्री के सात निश्चय कार्यक्रम एवं (ग) बिहार कौशल विकास मिशन इत्यादि हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान जेंडर बजट का अवलोकन

(राशि करोड़ में)

विभाग का नाम	2019–20 (BE)		2020–21 (BE)	
	बजट	महिलाओं पर व्यय	बजट	महिलाओं पर व्यय
कृषि विभाग	225908.00	67772.40	238422.00	71537.40
भवन निर्माण विभाग	58376.50	23687.95	46500.00	23050.00
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	6068.18	1820.45	6882.34	2064.70
पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	159890.65	69516.15	165494.39	78336.39
पंचायती राज विभाग	50100.00	25050.00	55100.00	27550.00
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	71684.71	34408.66	60142.34	0.00
स्वास्थ्य विभाग	279875.93	161957.28	365774.17	196313.86
शिक्षा विभाग	2702610.52	1005356.40	2664781.71	867465.40
गृह विभाग	32848.52	11529.48	35623.11	50.00
उद्योग विभाग	41745.00	11967.00	67590.00	13280.20
श्रम संसाधन विभाग	43721.00	14055.43	38264.28	12547.28
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	31600.00	10364.00	32900.00	8755.00
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	251748.00	75524.40	463100.00	138930.00
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	4057.00	4057.00	4520.00	4520.00
ग्रामीण विकास विभाग	1503050.00	1108809.30	1532033.00	1267234.88
विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग	9330.77	9330.77	11724.83	11724.83
अनु0 जाति अनु0 जनजाति कल्याण विभाग	143106.73	42932.02	162815.29	55727.30
पर्यटन विभाग	25000.00	7500.00	22114.00	11057.00
नगर विकास एवं आवास विभाग	94410.00	28503.00	332309.91	99877.97
समाज कल्याण विभाग	696058.59	373307.34	713041.85	427605.17
कुल योग	**6431190.10**	**3087449.03**	**7019133.22**	**3317627.38**

नोट : बजट में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है, जिन उपशीर्ष में जेडर बजट के आंकड़ें सम्मिलित किए गए है।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष (2019–20) की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष (2020–21) में महिलाओं के लिए किए जानेवाले कुल व्यय में 7.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

महिला एवं बालिकाओं के लिए चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाएँ

जेंडर बजट दस्तावेज विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए गए प्रावधान को इंगित करता है, जिसका उद्देश्य सामान्य रूप से महिलाओं के कल्याण और विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। इसके लिए विभिन्न सरकारी विभाग महिला केन्द्रित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं। ऐसी योजनाएँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणी के महिलाओं को लाभ देने के लिए लक्षित किया जाता है।

जेंडर बजट दस्तावेज़ में योजनाओं को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी A – ऐसी योजनाएँ, जो 100 प्रतिशत महिलाओं के लिए हैं। श्रेणी B– ऐसी योजनाएँ, जो 30 प्रतिशत एवं उससे अधिक परन्तु 100 प्रतिशत से कम महिलाओं के लिए हैं।

क्षमता निर्माण जैसे– कौशल विकास, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का प्रशिक्षण एवं महिला विकास निगम इत्यादि के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है।

बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं को केन्द्र में रखकर चलायी जानेवाली विभिन्न योजनाओं की विवरणी निम्नांकित है:

समाज कल्याण विभाग

1. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना :

इस योजना का उद्देश्य निर्धन परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं बाल विवाह को रोकना है। इस योजना के तहत बी.पी.एल. परिवार अथवा ऐसे अन्य परिवार जिनकी आय 60,000.00 (साठ हजार) रूपये तक हो, की कन्या को विवाह के समय 5,000.00 (पाँच हजार) रूपये का भुगतान कन्या के नाम प्रत्यक्ष भुगतान अंतरण के माध्यम से लाभुकों के खाते में किया जाता है।

2. राज्य सदन एवं संरक्षण आश्रय गृह :

राज्य सरकार द्वारा पटना जिला में एक उत्तर रक्षा गृह संचालित है। इस गृह के बेहतर प्रबंधन के मद्देनजर एवं आवासिनों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल एवं प्रशिक्षण इत्यादि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक 16.10.2014 को उत्तर रक्षा गृह, गायघाट, पटना की विस्तारित इकाई नाजरथ अस्पताल सोसायटी, मोकामा का शुभारंभ किया गया है।

3. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना :

कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, लिंगानुपात को संतुलित करने, जन्म निबंधन को बढ़ावा देने, टीकाकरण को प्रोत्साहित करने, बाल विवाह को रोकने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग,

स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना प्रारम्भ किया गया है। इसमें कन्या के जन्म से स्नातक शिक्षा तक सरकार द्वारा कुल रू. 54,100/–आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा इस योजना के तहत कन्या के जन्म पर रू. 2,000/–तथा एक वर्ष की आयु पूर्ण करने तथा आधार से लिंक करने पर रु. 1,000/–लाभार्थी के बैंक खाता में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दो वर्ष पूर्ण करने तथा सम्पूर्ण टीकाकरण पर रु. 2,000/–प्रदान किया जाता है।

इस योजना के अन्तर्गत शिक्षा विभाग के द्वारा वर्ग 1–2 की छात्राओं को पोशाक योजना के तहत प्रतिवर्ष रु. 600/–, वर्ग 3–5 की छात्राओं को पोशाक योजना के तहत प्रतिवर्ष रु. 700/–, वर्ग 6–8 की छात्राओं को पोशाक योजना के तहत प्रतिवर्ष रु. 1,000/–, वर्ग 9–12 की छात्राओं को पोशाक योजना के तहत प्रतिवर्ष रू. 1,500/–, वर्ग 7–12 की छात्राओं को किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत प्रतिवर्ष रू. 300/–इंटर पास अविवाहित कन्या को एकमुश्त रू. 10,000/–तथा स्नातक उत्तीर्ण प्रत्येक छात्रा को एकमुश्त रू. 25,000/–कन्या के खाते में देने का प्रावधान किया गया है।

4. महिला विकास निगम :

राज्य सरकार द्वारा महिलाओं एवं किशोरियों के विकास तथा सशक्तिकरण हेतु महिला विकास निगम, बिहार का गठन किया गया है। महिला विकास निगम के गठन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं किशोरियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार, सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नांकित गतिविधियां निर्धारित की गई हैं।

- आर्थिक सशक्तिकरण हेतु दीर्घकालीन आजीविका निर्माण को प्रोत्साहन,
- महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास व प्रोत्साहन,
- महिला अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता एवं क्षमता विकास,
- सांस्कृतिक एवं रचनात्मक कौशल को प्रोत्साहन तथा क्षमता विकास,
- सरकारी एवं गैर–सरकारी योजनाओं के साथ सहभागिता,
- महिला संबंधित अधिनियमों का कार्यान्वयन।

5. मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना :

यह एक समेकित योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण को पूरा करना है। यह योजना बिहार सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित है। इस योजना का आच्छादन राज्य के सभी 38 जिलों में है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत संचालित कुछ प्रमुख योजनाएँ निम्नवत हैं :–

(क) महिला हेल्पलाईन :–

राज्य के सभी जिलों में महिला हेल्पलाईन की स्थापना की गई है। इस हेल्पलाईन का उद्देश्य समाज की पीड़ित महिलाओं को मनोवैज्ञानिक परामर्श, कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, घरेलू हिंसा से पीड़ित

महिलाओं एवं किशोरियों को संरक्षण प्रदान करना, परामर्श के द्वारा परिवार टूटने से बचाना आदि है। महिला हेल्पलाईन में उपलब्ध सभी सेवाएँ निःशुल्क दी जाती है।

(ख) **अल्पावास गृह :–**

पीड़ित महिलाओं एवं किशोरियों को अल्पकाल तक आवासन के लिए राज्य के सभी जिलों में गैर–सरकारी संस्थाओं की सहायता से प्रत्येक जिला में 25 बेड एवं पटना में 50 बेड के अल्पावास गृह की स्थापना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई है।

कोई भी महिला जो घरेलू हिंसा अथवा अन्य किसी भी प्रकार से प्रताड़ित और पीड़ित हो अथवा न्यायालय में अपनी पैरवी करने के दौरान अल्प–काल तक आवासन की आवश्यकता हो, अल्पावास गृह की सेवाएं प्राप्त कर सकती है।

6. वन स्टॉप सेंटर योजना :

महिलाओं एवं किशोरियों को परामर्श एवं अल्पकालीन आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में 30 जिलों में इस योजना का आरम्भ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं किशोरियों को एक ही छत के नीचे, परामर्श, आवासन, विधिक सहायता, पुलिस और चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना है।

7. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ :

यह योजना जिला स्तरीय गतिविधियों हेतु शत प्रतिशत केंद्र प्रायोजित है। इसका वार्षिक आवंटन प्रति जिला रू. 50.00 लाख की राशि सीधे संबंधित जिला पदाधिकारी को दी जाती है।

उद्देश्य :

- बाल लिंगानुपात में सुधार करना,
- बेटियों की उत्तरजीविता एवं उनके संरक्षण को सुनिश्चित करना,
- बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना

8. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) :

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती/धातृ महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना तथा गर्भावस्था के दौरान हुये Wage Loss के विरूद्ध उन्हें आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत नगद राशि का हस्तांतरण सीधे लाभार्थी के आधार से संबंद्ध बैंक/पोस्ट ऑफिस खाता में डी.बी.टी. के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत सभी गर्भवती/धातृ महिलाओं को एक जीवित संतान तक सशर्त रू. 5,000/– का भुगतान तीन किस्तों में किया जाता है।

9. राष्ट्रीय क्रेच स्कीम :

भारत सरकार के निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 से इस नई योजना को लागू किया गया है। इसका

कार्यान्वयन आई.सी.डी.एस. निदेशालय अन्तर्गत किया जा रहा है। क्रेच एक सुविधा है, जहाँ काम–काजी महिलाएँ माह में न्यूनतम 15 दिन अपने 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को रख कर अपने कार्य हेतु जा सकती है। क्रेच में बच्चों का देखभाल, सम्पूर्ण विकास के साथ–साथ पोषण एवं स्वास्थ्य सुधार की सुविधा दी जानी है।

10. इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन :

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा महिलाओं से संबंधित योजनाओं के कार्यकलापों के सफल संचालन हेतु राशि महिला विकास निगम, पटना को उपलब्ध करायी जाती है।

11. समेकित बाल विकास योजना (स्थापना–आई.एस.एस.एन.आई.पी. योजना सहित) :

यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जो प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए एक अनूठा सर्वव्यापी समुदाय आधारित कार्यक्रम है। इसके अन्तर्गत बच्चों और महिलाओं की बहु–आयामी तथा पारस्परिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कारगर तथा कम लागत पर सेवाएँ दी जाती है।

12. किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी स्कीम ('सबला'):

राज्य के 12 जिलों यथा–पटना, बक्सर, गया, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, प0 चम्पारण, वैशाली, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, बांका एवं मुंगेर में किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए ''सबला'' कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2011–12 से प्रारम्भ किया गया है, जिसके तहत 11–14 वर्ष के विद्यालय नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ–साथ पूरक पोषाहार भी प्रदान किया जाता है । भारत सरकार से केन्द्रांश एवं राज्यांश में गैर–पोषण (60:40) एवं पोषण मद का अनुपात (50:50) निर्धारित है। इस योजना के अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से किशोरी बालिकाओं को पोषाहार, आयरन एवं फोलिक एसिड की गोली, स्वास्थ्य जाँच, संदर्भित सेवा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है।

13. आँगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना :

यह शत प्रतिशत राज्य योजना है। राज्य के बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यरत सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों पर स्कूल–पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 से 6 वर्ष आयु के सभी बच्चों को रू. 400.00 वार्षिक लागत की दर पर पोशाक की राशि दी जाती है।

14. परवरिश :

परवरिश राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत लक्षित समूहों 0–18 वर्ष आयु–वर्ग के बच्चों को समाज में बेहतर पालन–पोषण एवं उनकी गैर संस्थानिक देख–रेख को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान भत्ता के रूप में 1,000.00 रू. प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

इस योजना की पात्रता निम्नवत है:

(क) अनाथ एवं बेसहारा बच्चे अथवा अनाथ बच्चे जो अपने निकटतम संबंधी अथवा नाते रिश्तेदार के साथ रह रहे हों, जिनकी वार्षिक आय 60,000.00 रूपये से कम हो अथवा गरीबी रेखा के अधीन हो।

(ख) एच.आई.वी.(+) एड्स या Visible Deformities Grade-II के कुष्ठ रोग एवं कैंसर रोग से पीड़ित बच्चे अथवा इन रोग से पीड़ित माता/पिता की संतानें।

इसके अतिरिक्त इस योजना की पात्रता में संशोधन करते हुए वैसे बच्चे भी अनाथ एवं बेसहारा माने गये हैं, जिनके माता एवं पिता की या तो मृत्यु हो गयी हो या मानसिक दिव्यांगता या कारावास में बंदी होने के कारण से अथवा किसी अन्य न्यायिक आदेश से वे अपने बच्चे के परवरिश करने में असमर्थ हो गए हों, परन्तु ऐसी बाध्यकारी परिस्थिति के समाप्त हो जाने पर उनकी पात्रता भी स्वतः समाप्त हो जाएगी।

15. पूरक पोषाहार :

वित्तीय वर्ष 2014–15 से आई.सी.डी.एस. के पुनर्गठन के आलोक में भारत सरकार द्वारा राज्य के सभी 38 जिलों के सभी स्वीकृत एवं संचालित 1,14,718 आँगनबाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के सभी सामान्य/कुपोषित/अति कुपोषित बच्चों/सभी गर्भवती एवं धातृ महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में प्रति बच्चा 8 रूपये, अति कुपोषित बच्चा 12 रूपये तथा गर्भवती/प्रसूति महिला को 9.50 रूपये की दर निर्धारित है। पूरक पोषाहार का वितरण अनुश्रवण समिति द्वारा किया जाता है।

16. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :

- इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवार के 60–79 वर्ष आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्ति को रू. 400/–प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें रू. 200/–केन्द्र सरकार द्वारा एवं रू. 200/–राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है।
- 80 वर्ष या उससे अधिक आयुवर्ग के वृद्ध व्यक्ति को रू0 500/–प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें शत–प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है।
- इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के RTPS काउन्टर पर जमा किया जाता है।

17. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :

इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवार के 40–79 वर्ष आयु वर्ग की विधवा महिला को रू. 400/–प्रति माह पेंशन दिया जाता है, जिसमें रू. 300/–केन्द्र सरकार द्वारा एवं रू. 100/–राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है। 80 वर्ष आयु के उपरान्त इस योजना के पेंशनधारी को इन्दिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्थानांतरित किया जाता है।

18. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना :

इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवार के 18–79 वर्ष आयु वर्ग के 80 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले निःशक्त व्यक्ति को रू. 400/–प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें रू. 300/–केन्द्र सरकार द्वारा एवं रू. 100/–राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है। 80 वर्ष आयु के उपरान्त इस योजना के पेंशनधारी को इन्दिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्थानांतरित किया जाता है।

19. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :

इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वैसी विधवा जिनकी वार्षिक आय रू. 60,000/–

से कम हो या जो बी.पी.एल. परिवार की हों, परन्तु इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हों, को रू. 400/– प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। इसमें शत–प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।

20. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना :

यह शत–प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार की योजना है। इसके अन्तर्गत 18–60 वर्ष आयु वर्ग के कमाउ सदस्य (Bread Winner) की अकस्मात मृत्यु होने पर उसके आश्रित को एकमुश्त रू. 20,000/– की आर्थिक सहायता दी जाती है।

21. मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना :

इस योजना के अन्तर्गत किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या 18–60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति की आपराधिक घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रित परिवार/निकटस्थ संबंधी को एकमुश्त रू. 20,000/– की सहायता दी जाती है। यह राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।

22. कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना :

इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उसके अन्त्येष्टि क्रिया हेतु परिवार को रू. 3,000/– की एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत e-suvidha पोर्टल के माध्यम से लाभुकों को भुगतान किया जा रहा है।

23. बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना :

इस योजना के अन्तर्गत Visible Deformities Grade-II के कुष्ठ रोगी को भोजनादि हेतु रू. 1,500/–प्रतिमाह प्रति कुष्ठ रोगी की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन में असमर्थ कुष्ठ रोगियों को भिक्षावृत्ति से दूर रखना है।

24. बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना :

एड्स कन्ट्रोल सोसाईटी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित इस योजना के तहत एड्स रोगियों को मुफ्त भोजन हेतु रू. 1,500/–प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है।

25. मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना :

वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजना को प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के तहत नि:शक्त पुरूष/महिला के विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम परिपक्वता राशि देने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा के माध्यम से रू. 1,00,000/–अनुदान के रूप में देने का प्रावधान है।

इस योजना में नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना तथा अन्तर्जातीय विवाह योजना सन्निहित है। अन्तर्जातीय विवाह अथवा दिव्यांग महिला/पुरूष के साथ विवाह करने पर जिसमें महिला एवं पुरूष की आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष से अन्यून हो तो अन्तर्जातीय विवाह के लिए महिला को एवं दिव्यांगजन से विवाह के लिए दिव्यांगजन को अनुदान देय होगा, यदि ऐसे विवाह में पति–पत्नी दोनों दिव्यांग हों तो दोनों

को अनुदान देय होगा। इसी प्रकार दिव्यांगजन यदि अंतर्जातीय विवाह करते हैं तो दिव्यांग विवाह के साथ–साथ अंतर्जातीय विवाह के लिए देय अनुदान भी अनुमान्य होगा। उदाहरणतया– यदि पति पत्नी दोनों दिव्यांग हों और उनकी जाति भी भिन्न हो तो पत्नी को अंतर्जातीय विवाह एवं दिव्यांग विवाह, दोनों के लिए तथा पति को दिव्यांग विवाह हेतु अर्थात अनुदान की तीन इकाई अनुमान्य होगी।

26. ओल्ड एज होम (सहारा) :

वृद्धों के पुनर्वास के लिए ''ओल्ड एज होम'' (सहारा) का क्रियान्वयन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से राज्य के पाँच जिलों यथा–पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ एवं भागलपुर में किया जा रहा है।

27. मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना :

मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य को भिक्षावृति के अभिशाप से मुक्त करना है। इस योजना का उद्‌देश्य भिक्षुकों की पहचान कर उन को पहचान–पत्र वितरित करते हुए सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव स्थापित करना, कौशल प्रशिक्षण के द्वारा रोजगार से जुड़ाव स्थापित करना, वृद्ध/पूर्णतः निःशक्त एवं लावारिस अवस्था में पाए जानेवाले भिक्षुकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना एवं नशा विमुक्तिकरण के द्वारा उनका पुनर्वास सुनिश्चित कराना है।

28. जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) :

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा–50 के आलोक में 06 से 18 वर्ष आयु समूह के निराश्रित, परित्यक्त, परिवार–विहीन बच्चों को उनके पुनर्वास (पारिवारिक पुनर्मिलन, दत्तक ग्रहण, फोस्टर केयर इत्यादि) तक आवासित करने के लिए सरकार द्वारा जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन एवं कार्यरत इकाईयों के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यरत है।

29. मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना 'सम्बल' :

इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को छात्रवृत्ति देना, कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण का निःशुल्क वितरण, शिक्षा एवं स्वरोजगार ऋण, मानसिक विकलांग बच्चों तथा दृष्टिहीन एवं मूक बधिर बालिकाओं हेतु दिवाकालीन विशेष विद्यालय का संचालन, मानसिक विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु आश्रय गृह का संचालन, सर्वेक्षण एवं प्रमाणीकरण आदि किया जाता है ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

1. अनु. जाति एवं अनु. जनजाति छात्रवृत्ति योजना :

अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के छात्र/छात्राओं को विद्यालय स्तर से महाविद्यालय स्तर तक विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुँचाया जाता है। इस योजना के लिए अभिभावक की वार्षिक अधिकतम आय 2.50 लाख रू. तक होनी चाहिए। प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत् सम्पूर्ण फीस के साथ मासिक छात्रवृत्ति केन्द्र सरकार के नियम के अनुसार प्रदान किया जाता है।

2. मुख्यमंत्री अनु. जाति एवं अनु. जनजाति मेधावृत्ति योजना :

अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के वैसे छात्र/छात्रा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से दसवीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होंगे, उन्हें 10,000/– रू. एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के छात्र/छात्रा को 8,000/– रू. प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। इसी प्रकार 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के छात्राओं को क्रमशः 15,000/– रू. एवं 10,000/– रू. प्रोत्साहन राशि दिया जाता है।

3. आवासीय विद्यालय :

अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिए 65 तथा अनु. जनजाति छात्रों के लिए 15 आवासीय विद्यालय स्वीकृत हैं, जिसमें से 35 आवासीय विद्यालय बालिकाओं के लिए संचालित हैं। अनु. जनजाति के लिए दो एकलव्य आवासीय विद्यालय यथा– प. चम्पारण एवं कटिहार जिला में स्वीकृति दी गयी है तथा 300 आवासन वाले पाँच आवासीय विद्यालयों क्रमशः किशनगंज, बांका, जमुई, भागलपुर एवं गया जिला में स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार से थरूहट क्षेत्र में 10 अनु. जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय के स्थापना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 5 आवासीय विद्यालय बालिकाओं के लिए हैं।

4. छात्रावास :

वर्त्तमान में अनु. जाति एवं अनु जनजाति के छात्र/छात्राओं के आवासन की सुविधा हेतु छात्रावास संचालित हैं। इन छात्रावासों में अनु. जाति के छात्राओं के लिए 7 एवं अनु. जनजाति के छात्राओं के लिए 1 छात्रावास संचालित हैं।

5. प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र :

अनु. जाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने हेतु वर्तमान में पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, सारण एवं आरा जिलों में 7 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इन केन्द्रों में प्रशिक्षण पाने वाले छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है।

6. अनु. जाति और अनु. जनजाति द्धअत्याचार निवारणत्रः अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत सहायता :

अनु. जाति एवं अनु. जनजातियों के अत्याचार पीड़ितों को सहायता प्रदान करने हेतु इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत् महिलाओं को भी राहत राशि प्रदान की जाती है। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसका व्यय 50:50 के अनुपात में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

7. महादलित विकास मिशन :

महादलितों के विकास हेतु सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत बिहार महादलित विकास मिशन संस्था का गठन किया गया है। महादलित विकास मिशन के माध्यम से महादलितों के विकास हेतु कई प्रकार के आर्थिक उन्नयन, आधारभूत संरचना की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य के विभिन्न जिलों में 9,460 विकास मित्रों का चयन किया गया है, इसमें 50 प्रतिशत महिलायें हैं। दशरथ मांझी

कौशल विकास योजना के तहत महादलित परिवार के युवक/युवतियों के कौशल विकास हेतु चयनित संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है। महादलित परिवारों के लिए शौचालय योजना का संचालन किया जा रहा है।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

1. अन्य पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक (विद्यालय) छात्रवृत्रि योजना :

इस योजना के अन्तर्गत राज्य के सरकारी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को दिनांक : 01.04.2012 से पुनरीक्षित दर कक्षा–1 से 4, रू. 50/– प्रति माह, कक्षा– 5 से 6, रू. 100/– प्रति माह, कक्षा–7 से 10 रू. 150/– प्रति माह तथा छात्रावासी (कक्षा 1 से 10) को रू. 250/– प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है।

2. अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना :

इस योजना के तहत वर्ग–11 एवं उच्चतर कक्षा तथा डिप्लोमा/डिग्री स्तर का मेडिकल/इंजिनियरिंग/प्रबंधन एवं अन्य प्रवेशिकोत्तर कोर्सों में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को निर्धारित दर पर प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय की अधिकतम सीमा रू. 1.50 लाख है।

3. मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना :

राज्य सरकार द्वारा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं उन्हें उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2008–09 से एक नई योजना ''मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना'' प्रारम्भ की गयी है।

इस योजना के अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक (10वीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले बिहार राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा रू. 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) एकमुश्त वृत्तिका दी जाती है।

4. प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना :

यह योजना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को यू.पी.एस.सी./बी.पी.एस.सी. एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा किया जाता है। प्रति केन्द्र 120 प्रतियोगियों को प्रतियोगिता परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना मद में बजट प्रावधान से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक–एक प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र राज्य के आठ जिलों यथा– (1) पटना (2) गया (3) मुजफ्फरपुर (4) भागलपुर (5) दरभंगा (6) छपरा (7) आरा एवं (8)

मधेपुरा में स्वीकृत की गई थी। वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य के सात अन्य जिलों में यह योजना लागू की गई। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 23 अन्य जिलों में एक–एक प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है। इस प्रकार राज्य के प्रत्येक जिलों में एक–एक केन्द्र के संचालन की कार्रवाई की जा रही है।

5. जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास :

वित्तीय वर्ष 2008–09 में अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्रत्येक जिला में 100 आसन वाले ''जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण योजना'' के अंतर्गत छात्रावास निर्माण कराने की योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना के लिए सभी 38 जिलों में छात्रावास निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध हो गयी है। 26 जिलों में भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है जिसमें से 15 को संचालित कर दिया गया है, तथा शेष 11 को शीघ्र संचालित करने की योजना है।

6. अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय :

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए कुल 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित हैं, जिनमें वर्ग–6 से 12 तक की कक्षायें संचालित की जाती हैं, जिसका स्वीकृत छात्रबल प्रति विद्यालय 280 है। वर्तमान में कुल 2,650 छात्राएँ अध्ययनरत हैं। छात्राओं को निःशुल्क शिक्षण के साथ–साथ निःशुल्क आवासन एवं भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

1. अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास निर्माण योजना :

अल्पसंख्यक समुदाय के अध्ययनरत छात्राओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा पटना, गया बोधगया, कटिहार, नालन्दा, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्वी चंपारण जिलों में 9 अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास निर्मित है, जिसमें से पटना में मदर टेरेसा बालिका छात्रावास, गया में बालिका छात्रावास एवं भागलपुर में बालिका छात्रावास संचालित है। शेष छात्रावासों का शीघ्र संचालन प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है।

2. मुफ्त कोचिंग योजना :

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को नौकरियों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के लिए बिहार लोक सेवा आयोग, अन्य तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 से कोचिंग योजना शुरू की गई है। वर्तमान में पटना हज भवन के अतिरिक्त 08 जिलों यथा–पटना, भोजपुर, गया, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, कटिहार, पूर्णियाँ एवं भागलपुर जिले में कोचिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

3. मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना :

राज्य सरकार द्वारा मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के

उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु यह योजना वित्तीय वर्ष 2006–07 से संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं को एकमुश्त 10,000/– रू. की दर से आर्थिक सहायता दी जाती थी। वित्तीय वर्ष 2017–18 से राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता की राशि बढ़ाकर 25,000/– रू. कर दिया गया है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017–18 तक कुल 12,397 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना को ई–कल्याण पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है तथा कुल 130 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

4. मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना :

इस योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को, जो आगे की पढ़ाई जारी रखे हुए हैं, उन्हें 10,000/– रू. एवं शैक्षणिक वर्ष 2014 से इन्टर परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण मुस्लिम छात्राओं को 15,000/– रू. प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 से मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी (इन्टर) में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को 15,000/– रू. एवं फौकानिया में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं को 10,000/–रू. प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

5. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना :

सुशासन कार्यक्रम के तहत "मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना" अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवकों एवं युवतियों, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख रू. से अधिक न हो, को 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर स्वरोजगार हेतु अधिकतम 5 लाख रू. तक ऋण राशि प्रदान की जाती है।

6. मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना :

अल्पसंख्यक युवाओं के स्वरोजगार एवं नियोजन के लिए मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना वर्ष 2008–09 से स्वीकृत है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के नव–युवक एवं नव–युवतियों को विशेष प्रशिक्षण दिलाकर नियोजन का अवसर प्रदान कराना है।

7. राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना :

केन्द्र सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्धारित कोटे से बच गए योग्य अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर से छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 से प्रारंभ की गई है।

8. अल्पसंख्यकों का बहुक्षेत्रक विकास योजना :

इस योजना के तहत् राज्य के चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य प्रखण्डों एवं नगर निकायों में आधारभूत संरचना यथा–विद्यालय भवन, छात्रावास, परीक्षा भवन, पुस्तकालय भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसूति गृह, आशा विश्रामगृह, शौचालय, सदभाव मंडप आदि का निर्माण किया जा रहा है।

शिक्षा विभाग

1. नगर/पंचायत/जिला परिषद शिक्षकों के नियोजन में महिलाओं की भागीदारी :

स्थानीय निकायों के नगरों, पंचायतों, प्रखंडों, जिला परिषदों के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में महिला अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिससे समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा/सम्मान में वृद्धि हुई है और उनकी भागीदारी से उनमें आयवर्द्धक नेतृत्व विकास की भावना विकसित हो रही है। यह योजना महिलाओं को पुरूष के बराबर अधिकार दिलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है।

2. मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना :

बिहार सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना की शुरूआत की है। यह योजना प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत बालिकाओं के लिए लागू की गयी है। मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत कक्षा 1 से 2 की छात्राओं के लिए 600/–रू. की दर से, कक्षा 3 से 5 की छात्राओं के लिए 700/–रू. की दर से एवं कक्षा 6 से 8 की छात्राओं के लिए 1,000/–रू. की दर से एवं उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों/इन्टर महाविद्यालयों में नवम् से बारहवीं कक्षा की छात्राओं को प्रति छात्रा 1,500/–रू. की दर से राशि दिये जाने का प्रावधान है।

3. मुख्यमंत्री पोशाक योजना :

मुख्यमंत्री पोशाक योजना के अन्तर्गत राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग III-V में नामांकित प्रत्येक छात्र/छात्रा को रू. 500/–नगद प्रदान किया जाता है। इस राशि से दो सेट स्कूल पोशाक तथा एक जोड़ी जूते एवं राशि की बचत होने की स्थिति में स्टेशनरी का क्रय छात्र–छात्राओं/उनके माता पिता द्वारा किया जाता है, जो छात्र/छात्राएँ पहले ही पोशाक तैयार करा लेते हैं, उन्हें भी पूरी राशि हस्तान्तरित की जाती है। यह योजना वर्ष 2009–10 से संचालित है। वर्ग 1 एवं 2 के सभी बालिका एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/गरीबी रेखा से नीचे के श्रेणी के सभी बालक को समग्र शिक्षा अभियान के तहत रू. 400/– की दर से राशि उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही वर्ग 6 से 8 के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं गरीबी रेखा के नीचे के छात्रों को भी सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ही रू. 400/–की दर से राशि उपलब्ध करायी जाती है।

4. मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना :

राज्य सरकार ने परिवारों एवं समुदायों की स्थिति को बेहतर बनाने और उन्हें गरीबी के दुश्चक्र से बाहर निकालने में महिलाओं की भूमिका को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना की शुरूआत जून 2007 में की। इस योजना ने गाँवों की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभायी है। किशोरवय की जिन लड़कियों को इच्छा के बावजूद पहले बीच में पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती थी, ऐसी वर्ग 09 में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रति बालिका 3,000/– रूपये की राशि साईकिल खरीदने के लिए प्रदान की जाती है। इससे बालिकाओं में आत्मविश्वास जागृत होती है और दूर–दराज इलाके की बालिकाएँ भी माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने से पीछे नहीं रही है। यह योजना महिलाओं के शिक्षोत्थान में क्रांतिकारी कदम साबित हो रहा है।

5. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा अभियान) :

बिहार सरकार ने प्रत्येक पंचायत को माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए इस केन्द्र प्रायोजित योजना द्वारा मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित करते हुए इस कोटि में लाया जा रहा है। इस योजना के तहत 14 से 18 आयु–वर्ग के बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा सुगमतापूर्वक प्रदान करना है। सामाजिक, आर्थिक एवं लिंग भेद विषमता को दूर करना, छात्रों के गुणात्मक विकास के लिए पाठ्यक्रम में सुधार करते हुए शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षित कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, ताकि उक्त योजना के कार्यान्वयन से विद्यालयों में माध्यमिक स्तर के छात्र–छात्राओं के बीच शिक्षा का प्रचार–प्रसार बढ़े। बालिका छात्रावास में बालिकाओं के अध्ययन की एवं उनकी सुरक्षा का ध्यान भी इस योजना का उद्देश्य है।

6. मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना :

इस योजना द्वारा विद्यालयों में नामांकित 12 वर्ष से अधिक उम्र की सभी बालिकाओं को प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में सामान्य जानकारी एवं माहवारी स्वास्थ्य तथा प्रबंधन के संबंध में विशिष्ट जानकारी प्रदान की जा रही है। साथ ही माहवारी चक्र के दौरान स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकतानुसार शिक्षिकाओं के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन क्रय करने हेतु 300/– रू. प्रति वर्ष उपलब्ध कराकर उसके निस्तार के संबंध में जानकारी दी जा रही है। बिहार सरकार की इस योजना ने लड़कियों के मस्तिष्क से रूढ़िवादिता, जड़ता एवं संकोचपन को बहुत हद तक दूर कर दिया है।

7. बिहार बाल भवन किलकारी योजना :

बाल भवन ''किलकारी'' के संचालन हेतु बिहार सरकार कटिबद्ध है। इस योजना में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मानसिक रूप से सुदृढ़ किया जाता है, ताकि लड़के एवं लड़कियों में कोई भेदभाव न रहे। लड़कियों को समाज की मुख्य धारा में लाने में किलकारी एक महत्वाकांक्षी योजना बन गई है।

8. मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना :

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित दसवीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सामान्य/पिछड़ा/अल्पसंख्यक/अत्यंत पिछड़ा/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सभी कोटि की छात्राओं को प्रति छात्रा रूपये 10,000/– (दस हजार रू.) एकमुश्त प्रदान किया जाता है। कक्षा 1 से 10 तक सरकारी विद्यालयों, अनुदानित माध्यमिक विद्यालय, प्रस्वीकृत मदरसा एवं संस्कृत (सहायता प्राप्त) प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित सभी कोटि की छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 1 से 4 के लिए रू. 50/–(पचास रूपये) प्रति माह की दर से, कक्षा 5 से 6 तक रूपये 100/–(एक सौ रू.) प्रति माह की दर से तथा कक्षा 7 से 10 तक रूपये 150/–(एक सौ पचास रू.) प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति दिया जा रहा है। इस योजना से छात्राओं की शिक्षा में भागीदारी की प्रतिशतता काफी बढ़ी है।

9. बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की योजना :

बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार क्रियान्वयन के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए नामांकन के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसके लिए सरकार वैसे विद्यालय को अनुदान देती है। इस योजना से समाज के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग की छात्र एवं छात्राएँ लाभान्वित हो रहे हैं।

10. कराटे प्रशिक्षण :

राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/अल्पसंख्यक/बुनियादी विद्यालयों में बालिकाओं को आत्म–रक्षार्थ कराटे प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित राशि के अन्तर्गत आने वाली इस योजना के द्वारा बालिकाओं में हीन भावना दूर भागती है तथा शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक स्तर पर वे अपने आपको मजबूत बनाती हैं। इस प्रशिक्षण के द्वारा लड़कियाँ छेड़खानी करने वालों से आत्मरक्षा कर सकती है।

11. सब जुनियर (स्पोर्ट्स मीट–तरंग) :

प्राथमिक शिक्षान्तर्गत जूनियर बच्चों के खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए ''तरंग'' कार्य कर रही है। यह समाज के अभिवंचित वर्ग की छात्र/छात्राओं के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। बिहार सरकार इस ''तरंग'' कार्यक्रम के आयोजन में अनुदान देती है।

12. प्रौढ़ शिक्षा :

साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा दिया है। इस योजना द्वारा प्रौढ़ महिलाओं को साक्षर बनाकर साक्षर महापरीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। इससे साक्षरता बढ़ी है। इसके अलावा भारत साक्षरता मिशन भी एक लाभकारी आयोजन है। इसका उद्देश्य भी साक्षरता दर को ऊँचा उठाना है।

13. समग्र शिक्षा अभियान :

राज्य के सभी बच्चों को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध हो इस दिशा में सरकार की चल रही योजनाओं को अमली जामा पहनाने में समग्र शिक्षा अभियान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के छात्र/छात्राओं के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य कर दी गयी है। इस योजना के द्वारा स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाने, मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि एवं प्रत्येक विद्यालय को शौचालय–युक्त बनाने के लिए बिहार सरकार कटिबद्ध है।

14. राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय :

राज्य सरकार महिलाओं के अध्ययन के लिए काफी प्रयासरत है। आज राज्य में विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना महिलाओं के लिए अलग से की जा रही है। सरकार का यह कदम लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने में सराहनीय रहा है।

15. कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय :

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित समूहों, अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं को प्रारंभिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस योजना से बालिकाएँ भी अब अपने घर से दूर विद्यालय में ही एक शैक्षणिक वातावरण में रह सकती हैं।

16. आई. सी. टी. परियोजना :

इंटीग्रेटेड कम्प्यूटर ट्रेनिंग परियोजना के द्वारा राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है। इस परियोजना में राज्य के बालक/बालिकाओं को मुफ्त कम्प्यूटर शिक्षा देने की व्यवस्था है। इसके द्वारा एक ओर लड़कियों में समानता की भावना पनप रही है तथा दूसरी ओर रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं।

17. राजकीय महिला महाविद्यालय :

राज्य की लड़कियों को उच्च शिक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा राजकीय महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग तथा गर्दनीबाग की स्थापना की गयी है।

18. उन्नयन कार्यक्रम योजना :

इस कार्यक्रम के द्वारा ऑनलाईन अध्ययन की सुविधा, स्मार्ट क्लास तथा अन्य तकनीकी सुविधाओं से विद्यालय को सुसज्जित कर छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन कराने की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

19. मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना :

मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के अन्तर्गत राजकीय/राजकीयकृत/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) माध्यमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक परिभ्रमण हेतु रू. 20,000/–(बीस हजार) की दर से प्रत्येक विद्यालय को राशि उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना का उद्देश्य छात्र/छात्राओं में शैक्षणिक, व्यावहारिक एवं मानसिक ज्ञान में संतुलन बढ़ाना है। ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं पौराणिक स्थलों के भ्रमण से छात्र–छात्राओं में आत्मविश्वास एवं ज्ञान की वृद्धि हो रही है।

20. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट स्कीम :

मुख्यमंत्री के सात निश्चय 'आर्थिक हल, युवाओं को बल' के अंतर्गत राज्य के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अधिकतम रू. 4,00,000/– (चार लाख) तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के लिए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की स्थापना की गई है। इसके तहत् छात्रों के लिए 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज तथा छात्राओं एवं दिव्यागों के लिए सिर्फ 1 प्रतिशत की दर पर ब्याज देय है।

21. महिला सामख्या कार्यक्रम :

सर्व शिक्षा अभियान (केन्द्रीय योजना) में महिलाओं को आत्मनिर्भर, स्वावलम्बन एवं प्रशिक्षित करने हेतु राशि दी जाती है। यह योजना शत प्रतिशत महिलाओं के लिए है।

22. अक्षर आँचल स्कीम :

वित्तीय वर्ष 2013–14 से 15 से 35 आयु–वर्ग की महादलित एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं तथा अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को प्रति वर्ष बुनियादी साक्षरता एवं विकासात्मक योजनाओं से तथा 06–14 आयु–वर्ग के उपरोक्त समुदाय के बच्चों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ने के लिये राज्य में अक्षर आँचल योजना का संचालन किया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग

1. आदर्श दम्पत्ति योजना :

राज्य में ''आदर्श दम्पत्ति योजना'' के नाम से एक योजना मई, 2012 से प्रारंभ की गई है। इस योजनांतर्गत आशा कार्यकर्ताओं को लक्षित दम्पत्तियों को निम्नांकित परामर्श देने पर प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है:

- आशा द्वारा नवविवाहित दम्पत्तियों को उत्प्रेरित कर शादी के दो वर्ष के पश्चात् पहले बच्चे का जन्म सुनिश्चित कराने पर आशा को रू. 500/– देय है।
- आशा द्वारा एक संतान वाले दम्पत्तियों को उत्प्रेरित कर पहले बच्चे एवं दूसरे बच्चे के जन्म में तीन वर्षों का अंतराल सुनिश्चित कराने पर रू. 500/–पुनः आशा को प्रोत्साहन राशि देय है।
- आशा द्वारा दो बच्चों वाले दम्पत्तियों को उत्प्रेरित कर परिवार नियोजन की स्थायी विधि सुनिश्चित कराने पर अतिरिक्त रू. 1,000/–आशा को प्रोत्साहन राशि देय है।

2. जननी एवं बाल सुरक्षा योजना :

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वांछित कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना को राज्य में जुलाई, 2006 से प्रारंभ किया गया है।

प्रत्येक संस्थागत प्रसव पर ग्रामीण क्षेत्रों में रू. 1,400/–प्रत्येक गर्भवती महिला को व आशा को रू. 600/– (01 अप्रैल, 2013 से लागू) तथा शहरी क्षेत्र के महिला लाभार्थी को रू. 1,000/– व आशा/आंगनबाड़ी सेविका को रू. 400/– की प्रोत्साहन राशि देय है।

3. ममता कार्यक्रम :

इसमें अनुसूचित जाति विशेषकर रविदास समूह की महिलाएँ होती हैं, जो मुख्यतः गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशु की देख–रेख एवं अन्य सुविधा देने हेतु नियुक्त की जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति प्रसव रू. 300/–प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान किया जाता है।

4. आशा कार्यक्रम :

इसके अन्तर्गत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में महिलाओं का चयन होता है। सामान्यतः एक हजार की आबादी अथवा एक आंगनबाड़ी केन्द्र में एक महिला आशा कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत रहती है। इनको पारिश्रमिक के तौर पर एन.आर.एच.एम. के तहत प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान किया जाता है।

ग्रामीण विकास विभाग

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) :

वित्तीय वर्ष 2016–17 से इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित कर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गृह–विहीन लोगों को वर्ष

2022 तक आवास उपलब्ध कराना है। गृह निर्माण हेतु सामान्य जिलों के लिए रू. 1,20,000/— एवं एकीकृत कार्य योजना (IAP District) वाले जिलों के लिए रू. 1,30,000/— की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।

2. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना :

01.01.1996 के पूर्व विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित अनु. जाति, अनु. जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवार, जो आवास योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त रहने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास का लाभ पाने से वंचित हैं तथा जिनका घर जीर्ण—शीर्ण अवस्था में हैं, उनके आवासों के पुनर्निर्माण हेतु रू. 1,20,000/— की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है ।

3. मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना :

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रतीक्षा सूची में शामिल वास—स्थल विहीन अनु. जाति, अनु. जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के परिवारों को 60,000/— रू. तक के वास भूमि क्रय हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।

4. बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन परियोजना (जीविका) :

यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से बिहार राज्य ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (बी.आर.एल. पी.एस.) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण है। इसका लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों का गठन कर संस्थागत क्षमता विकसित कर उनकी आमदनी बढ़ाना है। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य ग्रामीण जीविका प्रोत्साहन समिति के द्वारा किया जा रहा है। प्रारंभ में इस परियोजना का कार्यान्वयन कुछ ही जिलों में किया जा रहा था। लेकिन अब इसका राज्य के 38 जिलों के 534 प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जा रहा है।

5. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान :

बिहार राज्य में स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण की स्थिति में सुधार तथा राज्य को खुले में शौच से मुक्त करने की दिशा में विकसित बिहार के सात निश्चयों में से एक है ''शौचालय का निर्माण—घर का सम्मान''। इसी के तहत राज्य को महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती 02 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच से मुक्त किए जाने का लक्ष्य है।

''स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)'' के अंतर्गत सभी बी.पी.एल. परिवारों तथा चिन्हित श्रेणी के ए.पी.एल. परिवारों यथा— अनु. जाति, अनु. जनजाति, वासभूमि के साथ भूमिहीन मजदूर, लघु एवं सीमांत किसान, महिला प्रधान परिवार एवं शारीरिक रूप से विकलांग को घरेलू शौचालय के उपयोग एवं हाथ धोने हेतु जल संधारण की व्यवस्था के साथ घरेलु शौचालय के निर्माण हेतु केन्द्रांश मद में रू. 7,200/—तथा राज्यांश मद में रू. 4,800/—अर्थात कुल रू. 12,000/—प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है। चिन्हित श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के ए.पी.एल. परिवार, जिन्हें ''स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)'' के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाता है, को भी ''स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)'' के तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा ''लोहिया स्वच्छता योजना'' के तहत रू. 12,000/—प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

1. अभियान बसेरा कार्यक्रम :

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीत वास भूमिहीन परिवारों/व्यक्तियों के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 से यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सुयोग्य श्रेणी यथा– अनु. जाति/अनु. जनजाति/पिछड़ा वर्ग– (अनुसूची–I एवं अनुसूची–II) के वास भूमिहीन परिवारों को प्रति परिवार 05 डिसमिल की दर से वास हेतु भूमि/भू–खण्ड उपलब्ध कराया जाता है।

इस कार्यक्रम के तहत सर्वप्रथम सुयोग्य श्रेणी के वास भूमिहीन परिवारों का सर्वेक्षण कर बी.पी.पी.एच.टी. एक्ट, 1949 के अंतर्गत पर्चा देने की कार्रवाई की जाती है। इसके उपरांत अवशेष सुयोग्य श्रेणी के वास–भूमि रहित परिवारों को गैरमजरूआ मालिक/गैरमजरूआ आम/भू–हदबंदी से अतिरेक अर्जित भूमि की बंदोबस्ती की कार्रवाई की जाती है। सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में अवशेष बचे परिवारों को बिहार गृहस्थल योजना अंतर्गत रैयती भूमि की क्रय नीति, 2011 के तहत सुयोग्य श्रेणी के वासरहित परिवारों को भूमि/भू–खण्ड क्रय कर उपलब्ध कराई जाती है। सुयोग्य श्रेणी के वासरहित परिवारों को वास हेतु 05 डिसमिल जमीन प्रति परिवार तथा कलस्टर (यथासंभव 20 परिवार) में बसाने की स्थिति में 05 डिसमिल प्रति परिवार की दर से कुल 100 डिसमिल वासभूमि के अतिरिक्त 20.00 डिसमिल अतिरिक्त जमीन आन्तरिक सड़क एवं सामुदायिक भवन के लिए उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है।

उद्योग विभाग

1. हस्तकरघा प्रक्षेत्र का विकास :

हस्तकरघा बुनकर एवं रंगरेज हेतु सामान्य सुलभ केन्द्रों की स्थापना की जा रही है, जिसमें कटाई, बुनाई, रंगाई इत्यादि की सुविधा महिलाओं को भी उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित मेला/उत्सव/सेमिनार में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

2. इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेंट योजना की स्थापना :

कौशल विकास कार्यक्रम के तहत् युवक/युवतियों को रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निदेशालय द्वारा विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

1. मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (7 निश्चय) :

(क) मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) के अंतर्गत आर्सेनिक/फ्लोराईड/लौह प्रभावित क्षेत्रों के 22,000 वार्डों में पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण गृह जल संयोजन के साथ किया जाना है। इन पेय जलापूर्ति योजनाओं से महिलाओं के विकास पर होने वाला खर्च लगभग 30 प्रतिशत अनुमानित है।

(ख) मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) के अंतर्गत विद्यमान 1,095 अदद्

ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं से आच्छादित गैर गुणवत्ता प्रभावित 5,400 वार्डों के सभी घरों को गृह जल संयोजन के साथ पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। इन पेय जलापूर्ति योजनाओं से महिलाओं के विकास पर होने वाला खर्च लगभग 30 प्रतिशत अनुमानित है।

(ग) मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) के अंतर्गत विद्यमान ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं से आच्छादित पंचायत के शेष गैर गुणवत्ता प्रभावित 8,303 वार्डों के सभी घरों को गृह जल संयोजन के साथ पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। इन पेय जलापूर्ति योजनाओं से महिलाओं के विकास पर होने वाला खर्च लगभग 30 प्रतिशत अनुमानित है।

(घ) मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) के अंतर्गत पेयजल समस्या—ग्रस्त दुर्गम/पठारी क्षेत्र के 532 वार्डों के सभी घरों को गृह जल संयोजन के साथ पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। इन पेय जलापूर्ति योजनाओं से महिलाओं के विकास पर होनेवाला खर्च लगभग 30 प्रतिशत अनुमानित है।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल सब मिशन कार्यक्रम :

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आर्सेनिक/फ्लोराईड/लौह प्रभावित क्षेत्रों में 2,821 वार्डों के सभी घरों को गृह जल संयोजन के साथ पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। इन पेय जलापूर्ति योजनाओं से महिलाओं के विकास पर होने वाला खर्च लगभग 30 प्रतिशत अनुमानित है।

• • •

जेन्डर बजट 2020–21

विभागवार विवरणी

(राशि लाख में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	2018–19 (जेन्डर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेन्डर बजट अनुमान)	2019–20 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेन्डर बजट अनुमान)
1	कृषि विभाग	41367.00	67772.42	75242.00	238422.00	71537.40
3	भवन निर्माण विभाग	21721.81	23687.95	23948.95	46500.00	23050.00
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	870.79	1820.46	1820.46	6882.34	2064.70
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	60302.91	69516.15	69650.83	165494.39	78336.39
16	पंचायती राज विभाग	20340.06	25050.00	25050.00	55100.00	27550.00
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	0.00	34408.66	0.00	60142.34	0.00
20	स्वास्थ्य विभाग	163008.28	161957.28	217120.53	365774.17	196313.86
21	शिक्षा विभाग	613941.50	1005356.38	912471.41	2664781.71	867465.40
22	गृह विभाग	13748.24	11529.48	11529.48	35623.11	50.00
23	उद्योग विभाग	1379.89	11967.00	12613.50	67590.00	13280.20
26	श्रम संसाधन विभाग	10368.63	14055.43	14758.33	38264.28	12547.28
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	5969.03	10364.00	8008.75	32900.00	8755.00
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	64912.67	75524.40	74704.20	463100.00	138930.00
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	144.27	4057.00	4057.00	4520.00	4520.00
42	ग्रामीण विकास विभाग	779314.33	1108809.30	1164219.29	1532033.00	1267234.88
43	विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग	6566.42	9330.77	11752.29	11724.83	11724.83
44	अनु0 जाति अनु0 जनजाति कल्याण विभाग	37007.87	42932.03	49363.53	162815.29	55727.30
46	पर्यटन विभाग	2140.35	7500.00	10179.41	22114.00	11057.00
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	14146.54	28503.00	29871.42	332309.91	99877.97
51	समाज कल्याण विभाग	337094.79	373307.34	487838.26	713041.85	427605.17
	योग	**2194345.38**	**3087449.05**	**3204199.64**	**7019133.22**	**3317627.38**

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं।

वर्ष 2020–21 के जेंडर बजट के अंतर्गत
महिलाओं पर व्यय किये जाने हेतु बजट में प्रावधानित राशि
विभागवार विवरणी

(राशि लाख में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	बजट उपबंध	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित राशि	महिलाओं के लिए कम–से–कम 30 प्रतिशत कर्णांकित राशि	कुल योग
1	कृषि विभाग	238422.00	0.00	71537.40	71537.40
3	भवन निर्माण विभाग	46500.00	0.00	23050.00	23050.00
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	6882.34	0.00	2064.70	2064.70
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	165494.39	1504.39	76832.00	78336.39
16	पंचायती राज विभाग	55100.00	0.00	27550.00	27550.00
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	60142.34	0.00	0.00	0.00
20	स्वास्थ्य विभाग	365774.17	89187.36	107126.50	196313.86
21	शिक्षा विभाग	2664781.71	103515.26	763950.14	867465.40
22	गृह विभाग	35623.11	50.00	0.00	50.00
23	उद्योग विभाग	67590.00	0.00	13280.20	13280.20
26	श्रम संसाधन विभाग	38264.28	1526.28	11021.00	12547.28
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	32900.00	200.00	8555.00	8755.00
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	463100.00	0.00	138930.00	138930.00
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	4520.00	4520.00	0.00	4520.00
42	ग्रामीण विकास विभाग	1532033.00	897792.00	369442.88	1267234.88
43	विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग	11724.83	11724.83	0.00	11724.83
44	अनु0 जाति अनु0 जनजाति कल्याण विभाग	162815.29	0.00	55727.30	55727.30
46	पर्यटन विभाग	22114.00	0.00	11057.00	11057.00
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	332309.91	0.00	99877.97	99877.97
51	समाज कल्याण विभाग	713041.85	80174.26	347430.91	427605.17
	योग	**7019133.22**	**1190194.38**	**2127433.00**	**3317627.38**

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं।

जेन्डर बजट 2020–21 विभागवार विवरणी

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय

(राशि लाख में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	2018–19 (वास्तविकी जेन्डर)	2019–20 (जेन्डर बजट अनुमान)	2019–20 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेन्डर बजट अनुमान)
08	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	386.04	527.46	527.46	1922.34	576.70
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1102.91	1400.65	1585.83	1504.39	1504.39
16	पंचायती राज विभाग	4938.77	7550.00	7550.00	20100.00	10050.00
20	स्वास्थ्य विभाग	3248.65	4015.88	5845.88	18576.17	7104.46
21	शिक्षा विभाग	198340.06	249465.14	259901.30	719300.71	216320.20
22	गृह विभाग	38.76	50.00	50.00	50.00	50.00
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	6192.21	8880.77	10752.29	11274.83	11274.83
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1902.46	5585.47	2489.74	19475.29	524.30
51	समाज कल्याण विभाग	1059.26	1150.61	1200.61	968.88	968.88
	कुल योग	**217209.12**	**278625.98**	**289903.11**	**793172.61**	**248373ण76**

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं।

जेन्डर बजट 2020–21 विभागवार विवरणी

राज्य स्कीम

(राशि लाख में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	2018–19 (वास्तविकी जेन्डर)	2019–20 (जेन्डर बजट अनुमान)	2019–20 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेन्डर बजट अनुमान)
01	कृषि विभाग	41367.00	67772.42	75242.00	238422.00	71537.40
03	भवन निर्माण विभाग	21721.81	23687.95	23948.95	46500.00	23050.00
08	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	484.75	1293.00	1293.00	4960.00	1488.00
11	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	59200.00	68115.50	68065.00	163990.00	76832.00
16	पंचायती राज विभाग	15401.29	17500.00	17500.00	35000.00	17500.00
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	0.00	34408.66	0.00	60142.34	0.00
20	स्वास्थ्य विभाग	159759.63	157941.40	211274.65	347198.00	189209.40
21	शिक्षा विभाग	415601.44	755895.25	652570.11	1945481.00	651145.20
22	गृह विभाग	13709.48	11479.48	11479.48	35573.11	0.00
23	उद्योग विभाग	1379.89	11967.00	12613.50	67590.00	13280.20
26	श्रम संसाधन विभाग	10368.63	14055.43	14758.33	38264.28	12547.28
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	5969.03	10364.00	8008.75	32900.00	8755.00
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	64912.67	75524.40	74704.20	463100.00	138930.00
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	144.27	4057.00	4057.00	4520.00	4520.00
42	ग्रामीण विकास विभाग	779314.33	1108809.30	1164219.29	1532033.00	1267234.88
43	विज्ञान प्रावैधिकी विभाग	374.21	450.00	1000.00	450.00	450.00
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	35100.59	35868.63	45370.79	138330.00	53700.00
46	पर्यटन विभाग	2140.35	7500.00	10179.41	22114.00	11057.00
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	14146.54	28503.00	29871.42	332309.91	99877.97
51	समाज कल्याण विभाग	336035.53	372156.73	486637.65	712072.97	426636.29
	कुल योग	1977131.44	2807349.15	2912793.53	6220950.61	3067750.62

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।

जेन्डर बजट 2020–21 विभागवार विवरणी

केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम

(राशि लाख में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	2018–19 (वास्तविकी जेन्डर)	2019–20 (जेन्डर बजट अनुमान)	2019–20 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेन्डर बजट अनुमान)
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	4.82	1503.00	1503.00	5010.00	1503.00
	कुल योग	4.82	1503.00	1503.00	5010.00	1503.00

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़ें सम्मिलित किये गये हैं।

जेन्डर बजट 2020–21 विभागवार विवरणी

100 प्रतिशत

(राशि लाख में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	2018–19 (जेन्डर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेन्डर बजट अनुमान)	2019–20 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेन्डर बजट अनुमान)
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1102.91	1400.65	1585.83	1504.39	1504.39
20	स्वास्थ्य विभाग	62257.20	56992.15	83522.15	89187.36	89187.36
21	शिक्षा विभाग	43928.96	119502.63	115781.93	117240.26	103515.26
22	गृह विभाग	38.76	50.00	50.00	50.00	50.00
26	श्रम संसाधन विभाग	635.99	1250.00	1250.00	1526.28	1526.28
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	0.00	400.00	200.00	200.00	200.00
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	144.27	4057.00	4057.00	4520.00	4520.00
42	ग्रामीण विकास विभाग	587757.22	648907.00	677281.63	897792.00	897792.00
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	6566.42	9330.77	11752.29	11724.83	11724.83
51	समाज कल्याण विभाग	89536.46	91801.53	106685.85	80174.26	80174.26
	कुल योग	791968.19	933691.73	1002166.68	1190194.38	1190194.38

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं।

जेन्डर बजट 2020–21 विभागवार विवरणी

30 प्रतिशत

(राशि लाख में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	2018–19 (जेन्डर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेन्डर बजट अनुमान)	2019–20 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेन्डर बजट अनुमान)
1	कृषि विभाग	41367.00	67772.42	75242.00	238422.00	71537.40
3	भवन निर्माण विभाग	21721.81	23687.95	23948.95	46500.00	23050.00
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	870.79	1820.46	1820.46	6882.34	2064.70
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	59200.00	68115.50	68065.00	163990.00	76832.00
16	पंचायती राज विभाग	20340.06	25050.00	25050.00	55100.00	27550.00
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	0.00	34408.66	0.00	60142.34	0.00
20	स्वास्थ्य विभाग	100751.08	104965.13	133598.38	276586.81	107126.50
21	शिक्षा विभाग	570012.54	885853.75	796689.48	2547541.45	763950.14
22	गृह विभाग	13709.48	11479.48	11479.48	35573.11	0.00
23	उद्योग विभाग	1379.89	11967.00	12613.50	67590.00	13280.20
26	श्रम संसाधन विभाग	9732.64	12805.43	13508.33	36738.00	11021.00
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	5969.03	9964.00	7808.75	32700.00	8555.00
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	64912.67	75524.40	74704.20	463100.00	138930.00
42	ग्रामीण विकास विभाग	191557.11	459902.30	486937.66	634241.00	369442.88
44	अनु0 जाति अनु0 जनजाति कल्याण विभाग	37007.87	42932.03	49363.53	162815.29	55727.30
46	पर्यटन विभाग	2140.35	7500.00	10179.41	22114.00	11057.00
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	14146.54	28503.00	29871.42	332309.91	99877.97
51	समाज कल्याण विभाग	247558.33	281505.81	381152.41	632867.59	347430.91
	कुल योग	1402377.19	2153757.32	2202032.96	5815213.84	2127433.00

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं।

जेन्डर बजट 2020–21

श्रेणी 'ए' – महिलाओं के लिए शत प्रतिशत

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–11 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग					
11-2225032770010 पिछड़ी जातियों के लिए 12 कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण	1102.91	1400.65	1585.83	1504.39	1504.39
कुल योग	**1102.91**	**1400.65**	**1585.83**	**1504.39**	**1504.39**
मांग संख्या–20 स्वास्थ्य विभाग					
20-2210051050011 महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए विद्यालय	87.81	137.29	137.29	183.69	183.69
20-2210051050012 प्रशिक्षण नर्स	1134.10	1566.86	1596.86	2003.67	2003.67
20-2210061010114 आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटर को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन	0.00	0.00	0.00	7500.00	7500.00
20-2211001030102 मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत संपूर्ण टीकाकरण योजना	0.00	0.00	5000.00	5000.00	5000.00
20-4210031050112 ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 स्कूल	0.00	0.00	21500.00	2000.00	2000.00
20-2211000030206 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	703.63	3600.00	3600.00	10000.00	10000.00
20-2211000030306 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	412.73	2688.00	2688.00	2500.00	2500.00
20-2211001010205 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	42975.91	36000.00	36000.00	50000.00	50000.00
20-2211001010305 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	16943.02	13000.00	13000.00	10000.00	10000.00
कुल योग	**62257.20**	**56992.15**	**83522.15**	**89187.36**	**89187.36**
मांग संख्या–21 शिक्षा विभाग					
21-2202031030003 राजकीय महिला महाविद्यालय	924.82	1235.48	1235.48	1013.26	1013.26
21-2202011090102 मुख्यमंत्री बालिका पोषाक योजना– प्रारंभिक शिक्षा	8194.11	12500.00	12500.00	5500.00	5500.00
21-2202021070107 मुख्यमंत्री बालिका पोषाक योजना– माध्यमिक शिक्षा	9884.73	12687.00	12687.00	10500.00	10500.00
21-2202027890104 मुख्यमंत्री बालिका पोषाक योजना (एस0सी0)– माध्यमिक शिक्षा	1970.41	2996.00	2996.00	5000.00	5000.00
21-2202031070104 मुख्यमंत्री बालिका पोषाक योजना – उच्चतर शिक्षा	2968.81	3400.00	3400.00	2000.00	2000.00
21-2202021070106 मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना–माध्यमिक शिक्षा	12231.83	15719.14	15719.14	13500.00	13500.00
21-2202021070108 अन्य विद्यालय	0.00	12478.00	0.00	00.00	0.00

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–21 शिक्षा विभाग					
21-2202027890102 मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना (एस0सी0)–माध्यमिक शिक्षा	1440.65	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
21-2202021090109 मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम–माध्यमिक शिक्षा	5398.43	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00
21-2202031070108 मुख्यमंत्री बालिका (इन्टरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना – उच्चतर शिक्षा	0.00	27484.00	36241.30	35000.00	35000.00
21-2202031070109 मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना – उच्चतर शिक्षा	915.17	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00
21-2204001010103 मध्य विद्यालयों की बालिकाओं को कराटे प्रशिक्षण हेतु अनुदान	0.00	0.01	0.01	1.00	1.00
21-4202012030106 राजकीय महिला महाविद्यालय	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00
कुल योग	**43928.96**	**119502.63**	**115781.93**	**103515.26**	**103515.26**
मांग संख्या–22 गृह विभाग					
22-2235602000016 स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना के पेंशनरों को उनके पौत्री, नतीनी की शादी हेतु अनुदान	38.76	50.00	50.00	50.00	50.00
कुल योग	**38.76**	**50.00**	**50.00**	**50.00**	**50.00**
मांग संख्या–26 श्रम संसाधन विभाग					
26-2230030030112 स्थापित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नया व्यवसाय प्रारंभ करना	19.98	50.00	50.00	0.00	0.00
26-2230031010101 नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	616.01	1200.00	1200.00	1476.28	1476.28
26-2230031010102 स्थापित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नया व्यवसाय प्रारंभ करना	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
कुल योग	**635.99**	**1250.00**	**1250.00**	**1526.28**	**1526.28**
मांग संख्या–30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग					
30-2250001010101 मुस्लिम परित्यक्ता को सहायता के रूप राशि उपलब्ध कराने हेतु	0.00	400.00	200.00	200.00	200.00
कुल योग	**0.00**	**400.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**
मांग संख्या–40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग					
40-4047000500107 पिछड़ा वर्ग के वासहीन परिवारों के गृहस्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि का क्रय	0.00	15.00	15.00	77.00	77.00
40-4047007890106 अनु0 जाति के गृह विहिन परिवारों के लिए रैयती भूमि का क्रय	144.27	3804.00	3804.00	4182.00	4182.00

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग					
40-4047007960101 अनु0 जनजाति के गृह विहिनों के लिए वास भूमि का क्रय	0.00	238.00	238.00	261.00	261.00
कुल योग	**144.27**	**4057.00**	**4057.00**	**4520.00**	**4520.00**
मांग संख्या–42 ग्रामीण विकास विभाग					
42-2216031020101 मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना	7200.00	1500.00	1500.00	120.00	120.00
42-2216037890104 मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना– अनु0 जाति	3600.00	2500.00	2500.00	240.00	240.00
42-2216037960103 मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना– अनु0 जनजाति	0.00	1000.00	1000.00	40.00	40.00
42-2216031050106 मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना	0.00	25.00	25.00	1.00	1.00
42-2216031050107 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना	4800.00	1800.00	1800.00	16751.00	16751.00
42-2216037890105 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना– अनु0 जाति	2400.00	9000.00	9000.00	25000.00	25000.00
42-2216037960104 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना– अनु0 जनजाति	800.00	1200.00	1200.00	500.00	500.00
42-2216031050202 इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0)	201934.87	270000.00	270000.00	425459.00	425459.00
42-2216037890202 इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0)– अनु0 जाति	35178.20	180000.00	180000.00	176262.00	176262.00
42-2216037960202 इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0)– अनु0 जनजाति	1300.81	30000.00	30000.00	6078.00	6078.00
42-2216031050302 इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0)	167469.99	62000.00	80583.63	204998.00	204998.00
42-2216037890302 इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0)– अनु0 जाति	110884.07	41200.00	50000.00	1.00	1.00
42-2216037960302 इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0)– अनु0 जनजाति	9189.28	6800.00	7791.00	1.00	1.00
42-2216037890103 मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना	0.00	25.00	25.00	1.00	1.00
42-2515001020517 बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना – विश्व बैंक संपोषित ग्रामीण विकास विभाग हेतु	30100.00	29300.00	29300.00	29638.00	29638.00
42-2515007890510 बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना – विश्व बैंक संपोषित ग्रामीण विकास विभाग हेतु	12470.00	12138.00	12138.00	12279.00	12279.00
42-2515007960517 बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना – विश्व बैंक संपोषित ग्रामीण विकास विभाग हेतु	430.00	419.00	419.00	423.00	423.00
कुल योग (ग्रामीण विकास विभाग)	**587757.22**	**648907.00**	**677281.63**	**897792.00**	**897792.00**

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग					
43-2203001030001 प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम	77.40	81.24	97.76	111.88	111.88
43-2203001050001 प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम	6114.81	8799.53	10654.53	11162.95	11162.95
43-2203001050106 प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम	374.21	450.00	1000.00	450.00	450.00
कुल योग	**6566.42**	**9330.77**	**11752.29**	**11724.83**	**11724.83**
मांग संख्या–51 समाज कल्याण विभाग					
51-2235021020116 परवरिश	1791.00	0.00	1900.00	2200.00	2200.00
51-2235021010111 विभिन्न संस्थाओं के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	0.63	10.00	10.00	10.00	10.00
51-2235021020224 किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	685.81	3018.78	3018.78	433.92	433.92
51-2235021020226 राष्ट्रीय क्रेच स्कीम	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00
51-2235021020324 किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	464.03	699.74	815.88	0.02	0.02
51-2235021020326 राष्ट्रीय क्रेच स्कीम	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00
51-2235021030003 बिहार राज्य महिला आयोग	200.00	250.00	250.00	250.00	250.00
51-2235021030105 महिला विकास निगम सहायक अनुदान	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
51-2235021030109 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	2609.73	5530.00	5530.00	2383.00	2383.00
51-2235021030110 नारी शक्ति योजना	5000.00	4050.00	4050.00	0.01	0.01
51-2235021030111 कन्या सुरक्षा योजना	8061.55	6960.00	6960.00	4000.01	4000.01
51-2235021030219 इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	0.00	5228.74	2922.47	1500.00	1500.00
51-2235021030225 मातृत्व लाभ योजना	692.37	2213.40	2213.40	2423.54	2423.54
51-2235021030319 इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	0.00	0.01	708.53	0.01	0.01
51-2235021030325 मातृत्व लाभ योजना	10125.69	1317.00	1396.76	5247.85	5247.85
51-2235021040001 राज्य सदन एवं संरक्षण आश्रय–गृह	159.26	200.61	250.61	218.88	218.88
51-2235027890107 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	1785.41	2810.00	2810.00	3691.00	3691.00
51-2235027890108 मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	1617.75	2150.00	2150.00	0.01	0.01

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–51 समाज कल्याण विभाग					
51-2235027890109 मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	1610.63	3040.00	3040.00	3999.99	3999.99
51-2235027890312 किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	117.49	233.24	233.24	0.01	0.01
51-2235027890313 इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	0.00	0.01	236.18	0.01	0.01
51-2235027960123 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	256.26	800.00	800.00	626.00	626.00
51-2235028000002 अन्तर्जातीय विवाह	700.00	700.00	700.00	500.00	500.00
51-2235031010103 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	0.00	1500.00	1500.00	70.00	70.00
51-2235031010203 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	15547.97	17784.00	17784.00	17600.00	17600.00
51-2235031010303 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	5155.00	3300.00	5300.00	3300.00	3300.00
51-2235037890102 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	0.00	500.00	500.00	30.00	30.00
51-2235037890202 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	3200.00	9716.00	9716.00	7400.00	7400.00
51-2235037890302 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	1072.00	700.00	1300.00	700.00	700.00
51-2235601020105 लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	23768.00	15000.00	25000.00	18200.00	18200.00
51-2235607890102 लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	4415.88	3500.00	5000.00	4800.00	4800.00
कुल योग (समाज कल्याण विभाग)	**89536.46**	**91801.53**	**106685.85**	**80174.26**	**80174.26**
महा योग	**791968.19**	**933691.73**	**1002166.68**	**1190194.38**	**1190194.38**

जेन्डर बजट 2020–21

श्रेणी 'बी'–महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत एवं उससे अधिक परन्तु 100 प्रतिशत से कम

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–01 कृषि विभाग					
01-2401000010214 नेशनल ई–गवर्नेस प्लान–कृषि	58.00	99.60	100.00	415.00	125.00
01-2401000010314 नेशनल ई–गवर्नेस प्लान–कृषि	38.00	61.75	62.00	243.29	73.00
01-2401001020201 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1356.00	2178.75	2321.00	7100.65	2130.00
01-2401001020301 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	806.00	1350.83	1626.00	4162.40	1249.00
01-2401001030109 बीज गुणन फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय	1131.00	3103.04	3228.00	11620.00	3486.00
01-2401001030218 सब मिशन ऑन सिड एण्ड प्लॉटिंग मटेरियल	5.00	871.50	1289.00	2075.00	623.00
01-2401001030318 सब मिशन ऑन सिड एण्ड प्लॉटिंग मटेरियल	4.00	540.33	540.00	1216.36	365.00
01-2401001040106 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	99.00	423.73	2244.00	8894.94	2668.00
01-2401001040205 परम्पागत कृषि विकास योजना	0.00	74.70	116.00	415.00	125.00
01-2401001040305 परम्पागत कृषि विकास योजना	0.00	46.31	77.00	243.27	73.00
01-2401001050106 जैविक खेती का उन्नयन	223.00	2946.25	2946.00	19274.42	5782.00
01-2401001050207 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	230.00	498.00	633.00	1660.00	498.00
01-2401001050307 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	147.00	308.76	428.00	973.09	292.00
01-2401001080220 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	35.00	322.46	322.00	544.48	163.00
01-2401001080320 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	22.00	199.95	200.00	319.18	96.00
01-2401001090103 बाढ़, सुखाड़ की अपातकालीन योजना	7470.00	7470.00	7968.00	16600.00	4980.00
01-2401001090106 इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना	5093.00	8113.64	8524.00	20750.00	6225.00
01-2401001090216 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	1225.00	3636.65	3637.00	14525.00	4358.00
01-2401001090217 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	471.00	871.50	1497.00	5463.06	1639.00

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–01 कृषि विभाग					
01-2401001090218 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	264.00	1245.00	1245.00	3320.00	996.00
01-2401001090316 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	735.00	2279.60	2280.00	8514.55	2554.00
01-2401001090317 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	315.00	540.33	968.00	3201.72	961.00
01-2401001090318 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	492.00	771.90	772.00	1946.18	584.00
01-2401001130105 प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेंकानाईजेशन	3885.00	4071.47	4071.00	13571.70	4072.00
01-2401001130217 प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेंकानाईजेशन	486.00	612.04	612.00	1545.00	464.00
01-2401001130317 प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेंकानाईजेशन	324.00	379.23	379.00	729.82	219.00
01-2401001190101 उद्यान विकास योजना	2238.00	3697.79	3698.00	12325.50	3698.00
01-2401001190224 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	460.00	747.00	747.00	2170.45	651.00
01-2401001190324 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	306.00	463.14	463.00	1272.32	382.00
01-2401007890106 इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना	827.00	1564.07	1643.00	4000.00	1200.00
01-2401007890117 बीज उत्पादन कार्यक्रम	204.00	598.18	622.00	2240.00	672.00
01-2401007890120 प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेंकानाईजेशन	159.00	784.86	785.00	2615.88	785.00
01-2401007890125 बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना	1440.00	1440.00	1536.00	3200.00	960.00
01-2401007890126 जैविक खेती का उन्नयन	34.00	567.95	558.00	3715.55	1115.00
01-2401007890130 उद्यान विकास योजना	360.00	712.83	713.00	2376.00	713.00
01-2401007890147 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	19.00	81.68	433.00	1714.69	514.00
01-2401007890203 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	280.00	701.04	810.00	2800.00	840.00
01-2401007890234 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	5.00	62.16	62.00	104.96	31.00
01-2401007890235 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	74.00	144.00	144.00	418.40	126.00
01-2401007890236 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	91.00	168.00	289.00	1053.12	316.00

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–01 कृषि विभाग					
01-2401007890237 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	231.00	420.00	447.00	1368.80	411.00
01-2401007890238 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	42.00	96.00	122.00	320.00	96.00
01-2401007890239 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	51.00	240.00	240.00	640.00	192.00
01-2401007890240 नेशलन ई–गवर्नेंस प्लान–कृषि	11.00	19.20	19.00	80.00	24.00
01-2401007890241 परम्परागत कृषि विकास योजना	0.00	14.40	22.00	80.00	24.00
01-2401007890245 सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन	94.00	117.98	118.00	240.00	72.00
01-2401007890249 सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिग मैटेरियल	1.00	168.00	249.00	400.00	120.00
01-2401007890303 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	180.00	439.44	540.00	1641.36	492.00
01-2401007890323 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	137.00	260.40	317.00	803.39	241.00
01-2401007890334 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	3.00	38.54	39.00	61.53	18.00
01-2401007890335 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	50.00	89.28	89.00	245.26	74.00
01-2401007890336 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	61.00	104.16	192.00	617.20	185.00
01-2401007890338 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	27.00	59.52	82.00	187.59	56.00
01-2401007890339 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	95.00	148.80	149.00	375.17	113.00
01-2401007890340 नेशनल ई–गवर्नेस प्लान–कृषि	7.00	11.90	12.00	46.88	14.00
01-2401007890341 परम्परागत कृषि विकास योजना	0.00	8.93	15.00	46.90	14.00
01-2401007890345 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेक्नाईजेशन	62.00	73.10	73.00	140.69	42.00
01-2401007890349 सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिग मैटेरियल	1.00	104.16	104.00	234.48	70.00
01-2401007960134 इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना	28.00	97.76	103.00	250.00	75.00
01-2401007960140 बीज उत्पादन कार्यक्रम	10.00	37.39	39.00	140.00	42.00
01-2401007960143 प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्वरल मेंकानाईजेशन	18.00	49.05	49.00	163.43	49.00

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–01 कृषि विभाग					
01-2401007960147 बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना	90.00	90.00	96.00	200.00	60.00
01-2401007960148 जैविक खेती का उन्नयन	1.00	35.50	35.00	232.22	70.00
01-2401007960152 उद्यान विकास योजना	19.00	44.55	45.00	148.50	45.00
01-2401007960169 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	1.00	5.11	27.00	107.17	32.00
01-2401007960231 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	19.00	43.82	90.00	175.00	53.00
01-240100796256 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	0.00	3.89	4.00	6.56	2.00
01-2401007960257 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	3.00	9.00	9.00	26.15	8.00
01-2401007960258 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	3.00	6.00	8.00	20.00	6.00
01-2401007960259 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	10.00	26.25	28.00	85.55	26.00
01-2401007960260 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	6.00	10.50	18.00	65.82	20.00
01-2401007960261 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	3.00	15.00	15.00	40.00	12.00
01-2401007960262 नेशनल ई–गवर्नेस प्लान–कृषि	1.00	1.20	1.00	5.00	2.00
01-2401007960263 परम्परागत कृषि विकास योजना	0.00	0.90	1.00	5.00	2.00
01-2401007960267 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेक्नाईजेशन	6.00	7.37	7.00	15.00	5.00
01-2401007960271 सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिग मैटेरियल	0.00	10.50	16.00	25.00	8.00
01-2401007960331 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	12.00	27.47	60.00	102.59	31.00
01-2401007960356 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	0.00	2.41	2.00	3.84	1.15
01-2401007960357 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	2.00	5.58	6.00	15.33	5.00
01-2401007960358 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	2.00	3.72	5.00	11.72	4.00
01-2401007960359 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	7.00	16.28	20.00	50.15	15.00
01-2401007960360 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	4.00	6.51	12.00	38.58	12.00

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–01 कृषि विभाग					
01-2401007960361 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	6.00	9.30	9.00	23.45	7.00
01-2401007960362 नेशनल ई–गवर्नेस प्लान–कृषि	0.00	0.74	1.00	2.93	1.00
01-2401007960363 परम्परागत कृषि विकास योजना	0.00	0.56	1.00	2.93	1.00
01-2401007960367 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेक्नाईजेशन	4.00	4.57	5.00	8.79	3.00
01-2401007960371 सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिग मैटेरियल	16.00	6.51	7.00	14.66	4.25
01-2402001020112 भूमि संरक्षण कार्य	1245.00	1643.40	1720.00	6225.00	1868.00
01-2402001020213 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	1083.00	1494.00	1494.00	5810.00	1743.00
01-2402001020313 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	437.00	926.28	926.00	3405.82	1022.00
01-2402007890101 भूमि संरक्षण कार्य	240.00	316.80	332.00	1200.00	360.00
01-2402007890202 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	209.00	288.00	288.00	1120.00	336.00
01-2402007890302 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	84.00	178.56	179.00	656.55	197.00
01-2402007960108 भूमि संरक्षण कार्य	15.00	19.80	21.00	75.00	23.00
01-2402007960209 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	0.00	18.00	18.00	70.00	21.00
01-2402007960309 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	0.00	11.16	11.00	41.03	12.00
01-2415010040107 मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण	168.00	199.20	220.00	713.80	214.00
01-2415012770101 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	23.00	12.45	12.00	48.80	15.00
01-2415012770108 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर	2341.00	2559.58	3107.00	10740.20	3222.00
01-2415012770312 कौशल विकास मिशन	0.00	298.80	299.00	0.00	0.00
01-2415017890103 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर	451.00	493.41	599.00	2070.40	621.00

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–01 कृषि विभाग					
01-2415017890105 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	347.00	2.40	2.00	9.60	3.00
01-2415017890107 मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण	17.00	38.40	42.00	137.60	41.00
01-2415017890308 कौशल विकास मिशन	0.00	57.60	58.00	0.00	0.00
01-2415017960104 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर	28.00	30.84	37.00	129.40	39.00
01-2415017960105 मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला	0.00	2.40	3.00	8.60	3.00
01-2415017960108 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	1.00	0.15	0.00	0.60	0.00
01-2415017960309 कौशल विकास मिशन	0.00	3.60	0.00	14.00	4.00
01-2435601010101 कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	0.00	249.00	349.00	415.00	125.00
01-2435607890101 कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	0.00	48.00	67.00	80.00	24.00
01-2435607960101 कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	0.00	3.00	4.00	5.00	2.00
01-3475001060101 माप एवं तौल का मानकीकरण	495.00	445.15	596.00	1328.00	398.00
01-3475007890103 माप एवं तौल का मानकीकरण	47.00	85.81	115.00	256.00	77.00
01-3475007960103 माप एवं तौल का मानकीकरण	3.00	5.36	7.00	16.00	5.00
01-4401000510101 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	1162.00	498.00	498.00	4150.00	1245.00
01-4401007890101 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	222.00	96.00	96.00	800.00	240.00
01-4401007960101 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	14.00	6.00	6.00	50.00	15.00
कुल योग	**41367.00**	**67772.42**	**75242.00**	**238422.00**	**71537.40**
मांग संख्या–03 भवन निर्माण विभाग					
03-4059010510119 कृषि कार्यालय भवन	2135.24	1743.00	1959.63	0.00	0.00
03-4059017890101 अनु0 जाति के लिए भवन	7397.56	7847.02	7847.02	30000.00	9000.00
03-4059017890102 कृषि कार्यालय भवन	326.33	336.00	377.76	0.00	0.00
03-4059017960104 अनु0 जनजाति के लिए भवन	4432.28	4055.93	4055.93	300.00	90.00

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–03 भवन निर्माण विभाग					
03-4059017960105 कृषि कार्यालय भवन	21.34	21.00	23.61	0.00	0.00
03-4059800510118 पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	7034.75	9025.00	9025.00	14000.00	13300.00
03-4225800510103 अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण	314.94	360.00	360.00	1200.00	360.00
03-4235021040101 वृद्धाश्रम	59.38	300.00	300.00	1000.00	300.00
कुल योग	**21721.81**	**23687.95**	**23948.95**	**46500.00**	**23050.00**
मांग संख्या–08 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग					
08-2204001040001 खेलकूद	282.34	342.64	342.64	1215.27	364.58
08-2204001040102 खेलकूद	265.17	735.00	735.00	3120.00	936.00
08-2205001020001 कला और संस्कृति का संवर्द्धन	0.00	0.00	0.00	707.07	212.12
08-2205001020001 कला और संस्कृति का संवर्द्धन	103.70	184.82	184.82	0.00	0.00
08-2205001020101 कला और संस्कृति का संवर्द्धन	219.58	558.00	558.00	1840.00	552.00
कुल योग	**870.79**	**1820.46**	**1820.46**	**6882.34**	**2064.70**
मांग संख्या–11 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग					
11-2225031970101 छात्रवृत्ति/वजीफा	2200.00	5512.00	5500.00	10400.00	5500.00
11-2225031980101 छात्रवृत्ति/वजीफा	8200.00	9552.00	9500.00	19900.00	9500.00
11-2225032770101 शिक्षा	44400.00	46965.50	47000.00	117840.00	55000.00
11-2225032770212 अन्य पिछड़ें वर्गों और अनधिसूचित, घुमन्तू तथा अर्द्धघुमन्तू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम	0.00	60.00	50.00	15.00	5.00
11-2225032770214 प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति	450.00	494.50	500.00	1195.00	500.00
11-2225032770215 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	3200.00	4180.50	4200.00	11590.00	5000.00
11-2225032770312 अन्य पिछड़ें वर्गों और अनधिसूचित, घुमन्तू तथा अर्द्धघुमन्तू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम	0.00	20.00	20.00	5.00	2.00

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–11 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग					
11-2225032770314 प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति	600.00	506.00	500.00	1195.00	500.00
11-4225032770101 आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	150.00	195.00	195.00	650.00	195.00
11-4225032770202 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओ0बी0सी0 छात्रावास निर्माण हेतु)	0.00	540.00	540.00	900.00	540.00
11-4225032770302 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओ0बी0सी0 छात्रावास निर्माण हेतु)	0.00	90.00	60.00	300.00	90.00
कुल योग	**59200.00**	**68115.50**	**68065.00**	**163990.00**	**76832.00**
मांग संख्या–16 पंचायती राज विभाग					
16-2515001960106 जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियम भत्ता हेतु	232.71	271.50	271.50	543.00	271.50
16-2515001970103 पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियम भत्ता हेतु	1244.86	1400.00	1400.00	2800.00	1400.00
16-2515001980010 ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु	4938.77	7550.00	7550.00	20100.00	10050.00
16-2515001980105 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु	5735.24	6426.50	6426.50	12853.00	6426.50
16-2515001980106 ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु	5531.16	6426.50	6426.50	12853.00	6426.50
16-2515007890103 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु	1183.03	1316.50	1316.50	2633.00	1316.50
16-2515007890104 ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु	1168.72	1316.50	1316.50	2633.00	1316.50
16-2515007890105 पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियम भत्ता हेतु	256.97	287.00	287.00	574.00	287.00
16-2515007890106 जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियम भत्ता हेतु	48.60	55.50	55.50	111.00	55.50
कुल योग	**20340.06**	**25050.00**	**25050.00**	**55100.00**	**27550.00**

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग					
18-3456001020306 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	0.00	26128.66	0.00	38892.34	0.00
18-3456007890302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	0.00	7792.80	0.00	20000.00	0.00
18-3456007960302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	0.00	487.20	0.00	1250.00	0.00
कुल योग	**0.00**	**34408.66**	**0.00**	**60142.34**	**0.00**
मांग संख्या–20 स्वास्थ्य विभाग					
20-2210012000209 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	5847.22	16707.5	13366.00	42500.00	17000.00
20-2210012000309 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	7623.12	5450.00	15560.00	11687.00	4674.80
20-2210017890201 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	4057.49	6905.00	5524.00	20800.00	8320.00
20-2210017890301 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	2525.03	1321.00	5456.80	2600.00	1040.00
20-2210017960219 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	261.22	796.50	637.20	2200.00	880.00
20-2210017960319 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	147.02	102.50	82.00	200.00	80.00
20-2210031100203 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	20837.39	33130.00	23191.00	83000.00	33200.00
20-2210031100303 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	12688.20	13415.00	15760.50	24000.00	9600.00
20-2210037890201 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	7191.91	12824.00	8976.80	38500.00	15400.00
20-2210037890301 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	3596.32	2900.00	2030.00	5400.00	2160.00
20-2210037960202 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	589.49	1137.00	795.90	3000.00	1200.00
20-2210037960302 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	272.23	561.50	393.05	1113.00	445.20
20-2211000010204 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	763.47	4313.40	4313.40	15000.00	4500.00
20-2211000010304 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	304.22	1050.00	1050.00	5000.00	1500.00
20-2211001010001 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	1908.41	2119.73	3619.73	14440.15	4332.50
20-2211001020202 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	18622.87	450.00	22200.00	2000.00	600.00
20-2211001020302 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	7361.13	240.00	8000.00	1500.00	800.00

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–20 स्वास्थ्य विभाग					
20-2211001030001 मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य	118.33	192.00	492.00	1948.66	584.60
20-2230031020102 स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में बिहार कौशल विकास प्रशिक्षण	36.01	150.00	150.00	198.00	59.40
20-4210031050119 बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज (निश्चय)	6000.00	1200.00	2000.00	1500.00	750.00
कुल योग	**100751.08**	**104965.13**	**133598.38**	**276586.81**	**107126.50**
मांग संख्या–21 शिक्षा विभाग					
21-2202010010101 प्राथमिक शिक्षा निदेशालय	0.00	1.50	1.50	5.00	1.50
21-2202010010105 शैक्षणिक सेमिनार, कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव	0.00	150.00	150.00	500.00	150.00
21-2202010010106 जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार	251.09	240.00	240.00	1000.00	300.00
21-2202010010107 बिहार बाल भवन को अनुदान	119.96	195.00	195.00	1500.00	450.00
21-2202011020102 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में प्रस्वीकृत निजि विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की जानेवाली	98.22	1500.00	1500.00	10000.00	3000.00
21-2202011090101 मुख्यमंत्री पोशाक योजना	1269.63	3000.00	3000.00	3300.00	990.00
21-2202011090103 मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण	778.02	900.00	900.00	5845.00	1753.50
21-2202011090105 प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति	2801.17	3750.00	3750.00	12500.00	3750.00
21-2202011110201 सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए0)	68442.17	188078.81	159591.75	536405.00	160921.50
21-2202011110301 सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए0)	4588.00	52549.98	45042.84	142978.00	42893.40
21-2202011110302 सर्व शिक्षा अभियान के केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति	177553.69	181296.58	155397.07	472795.00	141838.50
21-2202011120203 प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम0डी0एम0)	33734.68	35744.78	28636.50	106347.00	31904.10
21-2202011120303 प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम0डी0एम0)	28078.20	22000.00	16625.10	61740.00	18522.00
21-2202011910001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	1439.56	1571.66	1335.14	4450.47	1335.14

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–21 शिक्षा विभाग					
21-2202011920001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	1498.93	1501.79	1347.25	4934.47	1300.34
21-2202011930001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	2147.45	1602.39	1355.48	5265.01	1579.50
21-2202011970002 प्रखण्ड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक के समेकित भुगतान हेतु	55481.76	65520.00	56160.00	215280.00	64584.00
21-2202011980002 पंचायत शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	783.23	838.54	718.75	2754.26	826.28
21-2202017890102 मुख्यमंत्री पोशाक योजना	378.34	900.00	900.00	1200.00	360.00
21-2202017890203 सर्व शिक्षा अभियान	17275.62	43047.52	36897.88	105000.00	31500.00
21-2202017890209 मध्यान भोजन योजना	0.00	16000.00	1200.00	24231.00	7269.30
21-2202017890306 प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम0डी0एम0)	2285.76	8000.00	6000.00	14067.00	4220.10
21-2202017890308 सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए0)	12188.87	28698.35	24598.58	79800.00	23940.00
21-2202017960210 मध्यान भोजन योजना	0.00	144.62	1098.41	4038.00	1211.40
21-2202017960211 समग्र शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)	0.00	321.49	1894.22	7500.00	2250.00
21-2202017960309 सर्व शिक्षा अभियान	775.24	6251.47	5358.40	2500.00	750.00
21-2202017960310 मध्यान भोजना योजना	0.00	67.03	639.43	2345.00	674.50
21-2202020010101 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	0.00	7.51	7.51	108.00	32.40
21-2202020040102 हुनर	300.00	300.00	300.00	4000.00	1200.00
21-2202020520103 उच्च विद्यालयों का उन्नयन कार्यक्रम	0.00	300.00	900.00	1000.00	300.00
21-2202021090105 आई0सी0टी0 परियोजना	0.00	30.00	30.00	100.00	30.00
21-2202021090110 मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना	108.93	345.00	345.00	1200.00	360.00
21-2202021090207 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर0एम0एस0ए0)	1994.83	7700.00	6600.00	55663.00	16698.90
21-2202021090307 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर0एम0एस0ए0)	1721.19	4200.00	3600.00	10133.00	3039.90

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–21 शिक्षा विभाग					
21-2202021090312 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति	2238.48	3500.00	3000.00	12000.00	3600.00
21-2202021910001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	3137.40	4340.00	3810.00	12772.00	3832.00
21-2202021920001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	3072.02	4104.10	3577.80	12077.79	3623.34
21-2202021930001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	2855.50	2745.02	3072.87	8078.19	2423.46
21-2202021960001 जिला परिषद् माध्यमिक शिक्षकों को समेकित अनुदान हेतु	27614.50	31308.34	32085.72	92135.98	27640.79
21-2202027890207 समग्र शिक्षा–माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)	0.00	1575.00	1350.00	30000.00	9000.00
21-2202027890307 समग्र शिक्षा–माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)	0.00	1925.00	1650.00	20000.00	6000.00
21-2202027960209 समग्र शिक्षा–माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)	0.00	175.00	150.00	2500.00	750.00
21-2202027960309 समग्र शिक्षा–माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)	0.00	175.00	150.00	1881.00	564.30
21-2202031020001 पटना विश्वविद्यालय	5657.38	9719.40	9719.40	22114.85	6634.46
21-2202031020002 मगध विश्वविद्यालय	14430.69	32585.40	32585.40	52042.56	15613.07
21-2202031020003 बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर (बिहार विश्वविद्यालय)	15302.99	19844.10	19844.10	53000.00	15900.00
21-2202031020004 जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	4669.60	8719.20	9004.20	19400.00	5820.00
21-2202031020005 वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	8364.31	10554.30	11649.30	34850.00	10455.00
21-2202031020008 बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	8142.29	12228.30	12228.30	33926.00	10177.80
21-2202031020009 भागलपुर विश्वविद्यालय	8611.66	14447.10	14447.10	35880.00	10764.00
21-2202031020011 ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय	13993.59	17534.10	20054.10	58306.00	17491.80
21-2202031020012 कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	2343.52	2983.50	3223.50	10301.01	3090.30
21-2202031020016 मौलाना मजहरूल हक अरबी/फारसी विश्वविद्यालय	62.33	123.00	130.50	274.00	82.20

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–21 शिक्षा विभाग					
21-2202031020024 पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय, पटना	10590.50	1200.00	12607.50	9787.00	2936.10
21-2202031020025 पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ	2937.06	1200.00	3660.00	12236.00	3670.80
21-2202031020027 मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर	2289.52	1050.00	3540.00	9538.00	2861.40
21-2202031020115 राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास	2739.38	3960.00	3960.00	14500.00	4350.00
21-2202031020117 राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय की स्थापना	0.00	3.00	3.00	500.00	150.00
21-2202031020118 राष्ट्रीय स्तर का प्रबंधन संस्थान हेतु	0.00	0.45	0.45	500.00	150.00
21-2202031020126 आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	0.00	30.00	0.00	100.00	33.00
21-2202031020323 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	12.00	120.00	1158.00	3430.00	1029.00
21-2202031130101 बिहार स्टूडेंट केडिट कार्ड स्कीम	0.00	60.00	195.00	750.00	225.00
21-2202042000102 प्रौढ़ शिक्षा	0.00	750.00	750.00	5016.00	1504.80
21-2202042000203 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	0.00	420.00	0.00	857.00	450.00
21-2202042000303 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	0.00	279.90	789.90	588.00	176.40
21-2202047890101 प्रौढ़ शिक्षा	8908.16	9000.00	9000.00	40000.00	12000.00
21-2202800010102 राज्य शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	160.30	210.60	210.60	502.00	150.60
21-2202800030005 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय	153.45	189.46	189.46	747.42	224.23
21-2202800030006 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	1120.94	1374.20	1374.20	4784.19	1435.26
21-2202800030007 प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	103.07	120.14	120.14	387.04	116.11
21-2202800030008 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय	611.99	825.61	825.61	2965.21	889.56
21-2202800040106 ए0 एन0 सिन्हा सामाजिक शिक्षा संस्थान, पटना	0.00	150.00	150.00	500.00	150.00
21-2202800040108 ललित नारायण मिश्र इन्स्टीच्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एण्ड सोशल चेंजेज	0.00	0.45	0.45	554.00	166.00
21-2202800040121 बिहार राज्य भाषा अकादमी	9.93	15.00	15.00	75.00	22.50

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–21 शिक्षा विभाग					
21-2204001040108 बिहार सब जूनियर स्पोर्टस्स मीट तंरग कार्यक्रम	0.00	0.00	0.01	1.00	0.60
21-4202012020103 राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण	3167.44	8355.06	7755.06	21010.00	6003.00
21-4202012030108 राजकीय महाविद्यालय	600.00	600.00	600.00	1000.00	300.00
21-4202012030207 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	18.00	600.00	1737.00	5190.00	1557.00
कुल योग	**570012.54**	**885853.75**	**796689.48**	**2547541.45**	**763950.14**
मांग संख्या–22 गृह विभाग					
22-4055000510101 पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण	13709.48	11479.48	11479.48	35573.11	0.00
कुल योग	**13709.48**	**11479.48**	**11479.48**	**35573.11**	**0.00**
मांग संख्या–23 उद्योग विभाग					
23-2851001020106 उद्योग मित्र	42.00	54.00	54.00	200.00	0.00
23-2851001030113 शिल्प अनुशंधान संस्थान की योजना का सुदृढ़ीकरण	210.00	60.00	150.00	800.00	0.00
23-2851001040101 हस्तशिल्प का विकास	374.76	120.00	120.00	525.00	0.00
23-2851001080101 विद्युत करघा योजना	1.83	0.00	105.00	500.00	0.00
23-2852801020135 इन्टर प्रेनियोर्स डेवलपमेंट योजना की स्थापना	525.05	627.00	627.00	1990.00	597.00
23-2852801020150 सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनियरिंग एण्ड टेकनॉलाजी की स्थापना	89.94	0.00	451.50	1200.00	0.00
23-2852801020160 प्री–प्रोडक्सन एवं पोस्ट–प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना	73.24	11106.00	11106.00	20000.00	0.00
23-2851001030103 हस्तकरघा विकास की योजना	28.21	0.00	0.00	95.00	0.00
23-2851001020107 मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ी जाति उद्यमी योजना	0.00	0.00	0.00	12596.00	3778.00
23-2851001070101 पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना	4.19	0.00	0.00	200.00	60.00
23-2851007890110 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना	0.00	0.00	0.00	9829.00	2948.70

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–23 उद्योग विभाग					
23-2851007960117 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना	0.00	0.00	0.00	655.00	196.50
23-2852087960101 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
23-6851001020101 मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ी जाति उद्यमी योजना	0.00	0.00	0.00	10000.00	3000.00
23-6851007890101 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना	0.00	0.00	0.00	9000.00	2700.00
कुल योग	**1379.89**	**11967.00**	**12613.50**	**67590.00**	**13280.20**
मांग संख्या–26 श्रम संसाधन विभाग					
26-2230021010214 नेशनल कैरियर सर्विस	20.71	252.00	252.00	480.00	144.00
26-2230021010314 नेशनल कैरियर सर्विस	12.11	168.00	168.00	320.00	96.00
26-2230030030129 बिहार कौशल विकास मिशन	6447.37	8775.00	8268.65	17956.66	5387.00
26-2230030030233 कौशल विकास मिशन	13.52	210.00	977.03	6258.00	1877.00
26-2230030030333 कौशल विकास मिशन	84.31	300.00	806.35	1080.00	324.00
26-2230037890101 बिहार कौशल विकास मिशन	3040.86	3000.00	3000.00	10109.64	3033.00
26-2230037960121 बिहार कौशल विकास मिशन	113.76	100.43	36.30	533.70	160.00
कुल योग	**9732.64**	**12805.43**	**13508.33**	**36738.00**	**11021**
मांग संख्या–30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग					
30-2202021070109 मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	1877.44	2200.00	4028.75	7500.00	4125.00
30-2202021070210 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	0.00	30.00	30.00	100.00	30.00
30-2202031070106 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु कोंचिग की व्यवस्था	107.88	165.00	0.00	500.00	150.00
30-2225042770101 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	983.71	750.00	750.00	3000.00	900.00
30-2250000030101 अल्पसंख्यक वर्ग के कामगारों को प्रशिक्षण	0.00	165.00	0.00	500.00	150.00

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग					
30-4250000510207 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	0.00	3090.00	0.00	10300.00	0.00
30-5465011900104 बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के हिस्सा पूंजी के रूप में (कैपिटल सेयर)	3000.00	3564.00	3000.00	10800.00	3200.00
कुल योग	**5969.03**	**9964.00**	**7808.75**	**32700.00**	**8555.00**
मांग संख्या–36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग					
36-2215011020106 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	12450.00	2190.00	2190.00	8300.00	2490.00
36-2215017890104 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	2398.62	780.00	780.00	1600.00	480.00
36-2215017960105 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	150.00	30.00	30.00	100.00	30.00
36-4215011020101 ग्रामीण जलापूर्ति योजना	87.67	750.00	750.00	3500.00	1050.00
36-4215011020103 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स कूप, नलकूप द्वारा)	586.64	647.40	647.40	1905.00	571.50
36-4215011020116 ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए संरचना का विकास एवं नाबार्ड से ऋण	0.00	820.20	820.20	500.00	150.00
36-4215011020132 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	27693.67	28023.60	28023.60	286028.00	85808.40
36-4215011020230 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	5598.96	8880.00	8880.00	49800.00	14940.00
36-4215011020231 ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम (आर0डब्लू0एस0एस0–एल0आई0एस0)	1500.00	10500.00	10500.00	0.00	0.00
36-4215011020330 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	5816.38	9960.00	9960.00	33200.00	9960.00
36-4215017890111 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा)	119.61	124.80	124.80	1680.00	504.00
36-4215017890114 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	4866.43	6131.40	6131.40	55136.00	16540.80
36-4215017890212 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	1598.09	2865.30	2865.30	9600.00	2880.00

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग					
36-4215017890312 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	1620.59	1920.00	1920.00	6400.00	1920.00
36-4215017960107 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा)	18.00	7.80	7.80	115.00	34.50
36-4215017960109 ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति के लिए संरचना का विकास हेतु नाबार्ड से ऋण	0.00	820.20	0.00	0.00	0.00
36-4215017960119 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	199.90	345.00	345.00	3436.00	1030.80
36-4215017960120 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	0.00	210.00	210.00	700.00	210.00
36-4215017960217 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	100.31	254.70	254.70	600.00	180.00
36-4215017960317 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	107.81	120.00	120.00	400.00	120.00
36-4215021060104 शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढ़ीकरण	0.00	144.00	144.00	100.00	30.00
कुल योग	**64912.67**	**75524.40**	**74704.20**	**463100.00**	**138930.00**
मांग संख्या–42 ग्रामीण विकास विभाग					
42-2215021050103 लोहिया स्वच्छता योजना	7500.00	9600.00	9600.00	20000.00	9600.00
42-2215021050202 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	52459.52	149760.00	149760.00	113631.00	54542.88
42-2215021050302 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	48165.95	35568.00	35568.00	11700.00	5616.00
42-2215027890204 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–एस0सी0	10677.86	38400.00	38400.00	29136.00	13985.28
42-2215027890304 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–एस0सी0	11179.73	9120.00	9120.00	3000.00	1440.00
42-2215027960206 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–एस0टी0	890.84	3840.00	3840.00	2914.00	1398.72
42-2215027960306 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–एस0टी0	1049.80	912.00	912.00	300.00	144.00
42-2501061010202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)	8273.78	40006.00	40006.00	65300.00	54199.00
42-2501061010302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)	5515.84	8715.00	21655.56	13000.00	10790.00

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–42 ग्रामीण विकास विभाग					
42-2501067890202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)–एस0सी0	4674.04	23240.00	23240.00	37874.00	31435.42
42-2501067890302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)–एस0सी0	3116.02	5063.00	12567.86	7540.00	6258.20
42-2501067960202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)–एस0टी0	3384.64	16766.00	16766.00	27426.00	22763.58
42-2501067960302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)–एस0टी0	2256.43	3652.00	9087.04	5460.00	4531.80
42-2505021010201 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	21552.66	79999.00	79999.00	253498.00	126749.00
42-2505021010301 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	9360.00	22499.00	22499.00	24998.00	12499.00
42-2505027890201 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)–एस0सी0	0.00	0.50	0.50	1.00	0.50
42-2505027890301 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)–एस0सी0	0.00	0.30	0.30	1.00	0.50
42-2505027960201 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)–एस0टी0	0.00	0.30	0.30	1.00	0.50
42-2505027960301 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)–एस0टी0	0.00	0.30	0.30	1.00	0.50
42-2515001020119 सतत् जीविकोपार्जन योजना	1500.00	12118.00	12118.00	15000.00	12450.00
42-2515001020516 बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (वाह्य सम्पोषित)	0.00	642.60	1797.50	3459.00	1037.70
42-4515001020502 बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (वाह्य सम्पोषित)	0.00	0.30	0.30	1.00	0.30
कुल योग	**191557.11**	**459902.30**	**486937.66**	**634241.00**	**369442.88**
मांग संख्या–44 अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग					
44-2070000010106 अम्बेदकर फाउण्डेशन	0.00	15.00	15.00	50.00	15.00
44-2225010010004 वैधिक सहायता	0.00	0.30	0.30	1.00	0.30

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–44 अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग					
44-2225010010101 निदेशन और प्रशासन	8.99	15.00	15.00	100.00	30.00
44-2225011020101 परिवारोन्मुखी आयोत्पादक योजना हेतु 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान	0.00	15.00	15.00	50.00	15.00
44-2225011020115 महादलित विकास हेतु	12200.00	9150.00	9150.00	30500.00	9150.00
44-2225011020316 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी0एम0ए0जी0वाई)	0.00	1.50	1.50	5.00	1.50
44-2225011970001 प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	0.00	4.50	4.50	15.00	4.50
44-2225011970002 छात्रवृत्ति/वजीफा	0.00	4.50	4.50	15.00	4.50
44-2225011970101 छात्रवृत्ति/वजीफा	2227.22	2313.22	2698.76	13900.00	5560.00
44-2225011980001 प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	0.00	15.00	15.00	50.00	15.00
44-2225011980101 छात्रवृत्ति/वजीफा	3849.56	4317.30	5036.85	26050.00	10420.00
44-2225012770002 छात्रावासों का संधारण	67.52	290.18	145.25	1090.22	0.00
44-2225012770003 आवासीय विद्यालय	1636.06	4002.29	1882.05	13772.12	0
44-2225012770007 प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	0.00	60.00	60.00	200.00	60.00
44-2225012770008 पुस्तक अधिकोष की स्थापना	1.80	4.80	4.80	16.00	4.80
44-2225012770009 नागरिक सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढ़ीकरण	0.00	0.03	0.03	0.01	0
44-2225012770011 छात्रवृत्तियाँ और वृत्तियाँ	161.47	271.50	271.50	1125.00	337.50
44-2225012770011 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	23.83	83.78	58.71	286.61	86
44-2225012770101 शिक्षा	244.95	552.30	552.30	2600.00	780.00
44-2225012770107 शिक्षा	9721.57	7547.87	12579.78	34454.00	17227.00
44-2225012770219 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	271.25	1800.00	1800.00	6000.00	1800.00
44-2225012770221 नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढ़ीकरण एवं अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	352.50	366.00	366.00	1500.00	450.00

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–44 अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग					
44-2225012770222 अनु0 जाति के छात्र एवं छात्राओं के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति	1500.05	1500.00	1500.00	2500.00	1500.00
44-2225012770319 पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति	2030.00	1740.00	1740.00	6000.00	1800.00
44-2225012770321 नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढ़ीकरण एवं अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	349.04	366.00	366.00	1500.00	450.00
44-2225017930401 अनु0 जाति के बहुमुखी विकास	0.00	1500.00	1500.00	5000.00	1500.00
44-2225021020105 अनु0 जनजाति विकास हेतु	0.00	300.00	300.00	200.00	60.00
44-2225021020201 अनु0 जनजातियों का बहुमुखी विकास –संविधान की धारा 275(01) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त	0.00	540.00	540.00	1500.00	450.00
44-2225021020202 अनु0 जनजातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	540.00	540.00	1500.00	450.00
44-2225021970101 छात्रवृत्ति / वजीफा	394.22	431.40	503.30	605.00	242.00
44-2225021980101 छात्रवृत्ति / वजीफा	361.40	1595.14	1547.44	1855.00	742.00
44-2225022770001 छात्रवृत्तियां / वृत्तियां	2.70	4.20	4.20	39.00	11.70
44-2225022770003 लड़के एवं लड़कियों का छात्रावास	3.20	42.78	31.34	152.23	0.00
44-2225022770004 आवासीय विद्यालय	0.00	750.26	0.00	2524.55	0.00
44-2225022770101 शिक्षा	1528.60	1290.03	2491.98	2051.00	918.50
44-2225022770106 आवासीय विद्यालय	0.00	105.00	105.00	250.00	75.00
44-2225022770214 अनु0 जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए	61.24	214.50	214.50	10.00	4.00
44-2225022770216 पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.00	90.00	90.00	300.00	105.00
44-2225022820001 आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ट निवारण केन्द्रों का संधारण	5.88	51.35	7.56	188.55	0.00
44-2225027960125 थरूहठ क्षेत्र विकास	0.00	828.30	828.30	200.00	60.00

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–44 अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग					
44-2225027960228 विशेष रूप से कमजोर जनजातिय समुहों के विकास	0.00	90.00	300.00	250.00	75.00
44-2225027960427 वनबन्धु कल्याण योजना	4.82	3.00	3.00	10.00	3.00
44-4425001080164 बिहार राज्य अनु0 जाति सहकारिता विकास निगम	0.00	120.00	120.00	400.00	120.00
44-2225011020216 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	0.00	0.00	1954.08	4000.00	1200.00
कुल योग	**37007.87**	**42932.03**	**49363.53**	**162815.29**	**55727.30**
मांग संख्या–46 पर्यटन विभाग					
46-5452011010104 पर्यटकीय संरचनाओं का विकास	2140.35	7500.00	10179.41	22114.00	11057.00
कुल योग	**2140.35**	**7500.00**	**10179.41**	**22114.00**	**11057.00**
मांग संख्या–48 नगर विकास एवं आवास विभाग					
48-2215011910101 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	0.00	0.00	0.00	1500.00	450.00
48-2215011920101 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	0.00	0.00	0.00	1927.01	578.10
48-2215011930101 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	0.00	0.00	0.00	2000.00	600.00
48-2215017890101 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	0.00	0.00	0.00	3500.00	1050.00
48-2215017890102 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	0.00	0.00	0.00	4500.00	1350.00
48-2215017890103 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	0.00	0.00	0.00	4000.00	1200.00
48-2215017960102 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	0.00	0.00	0.00	1000.00	300.00
48-2215017960103 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	0.00	0.00	0.00	1572.99	471.90
48-2215021910102 नाला निर्माण, सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना	0.00	0.00	0.00	16174.91	4852.47
48-2215021920102 नाला निर्माण, सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना	0.00	0.00	0.00	2000.00	600.00
48-2215021930102 नाला निर्माण, सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना	0.00	0.00	0.00	1000.00	300.00
48-2215027890101 नाला निर्माण, सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना	0.00	0.00	0.00	1000.00	300.00

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–48 नगर विकास एवं आवास विभाग					
48-2215011910106 जल जीवन हरियाली अभियान	0.00	0.00	0.00	300.00	90.00
48-2215011920103 जल जीवन हरियाली अभियान	0.00	0.00	0.00	350.00	105.00
48-2215011930102 जल जीवन हरियाली अभियान	0.00	0.00	0.00	350.00	105.00
48-2217011910109 नागरिक सुविधा	0.00	0.00	0.00	3000.00	900.00
48-2217011910116 नागरिक सुविधा	0.00	0.00	0.00	400.00	120.00
48-2217031920105 नागरिक सुविधा	0.00	0.00	0.00	300.00	90.00
48-2217031930104 नागरिक सुविधा	0.00	0.00	0.00	300.00	90.00
48-2217011910124 विशेष स्वच्छता अनुदान	0.00	0.00	0.00	2300.00	690.00
48-2217031920114 विशेष स्वच्छता अनुदान	0.00	0.00	0.00	2000.00	600.00
48-2217031930113 विशेष स्वच्छता अनुदान	0.00	0.00	0.00	1700.00	510.00
48-2217011910115 मु0 शहरी नाली–गली पक्की0 निश्चय योजना	0.00	0.00	0.00	4000.00	1200.00
48-2217031930103 मु0 शहरी नाली–गली पक्की0 निश्चय योजना	0.00	0.00	0.00	19032.01	5709.60
48-2217017890102 मु0 शहरी नाली–गली पक्की0 निश्चय योजना	0.00	0.00	0.00	4500.00	1350.00
48-2217037890102 मु0 शहरी नाली–गली पक्की0 निश्चय योजना	0.00	0.00	0.00	22467.99	6740.40
48-2217030510204 स्मार्ट सिटी मिशन	0.00	0.00	0.00	42000.00	12600.00
48-2217030510304 स्मार्ट सिटी मिशन	0.00	0.00	0.00	20000.00	6000.00
48-2217800010101 वाहय संपोषित योजना	0.00	0.00	0.00	14300.00	4290.00
48-5075601900101 पटना मेट्रो रेल	0.00	0.00	0.00	5000.00	1500.00
48-2217011910106 नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	0.00	17.50	10.50	35.00	17.50
48-2217017890205 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	1440.00	1440.00	4800.00	1440.00
48-2217017890305 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	240.00	240.00	800.00	240.00
48-2217017960201 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	82.50	82.50	275.00	82.50

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–48 नगर विकास एवं आवास विभाग					
48-2217017960301 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	16.86	15.00	15.00	50.00	15.00
48-2217030510201 हर घर शौचालय निर्माण, घर का सम्मान निश्चय योजना	3696.38	5703.00	5703.00	19010.00	5703.00
48-2217030510203 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	977.65	7455.00	7455.00	29850.00	8955.00
48-2217030510301 हर घर शौचालय निर्माण, घर का सम्मान निश्चय योजना	5070.00	6000.00	6000.00	5000.00	1500.00
48-2217030510202 अमृत	0.00	0.00	0.00	48000.00	14400.00
48-2217030510302 अमृत	0.00	0.00	0.00	13000.00	3900.00
48-2217030510303 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	1622.83	2490.00	3503.40	12700.00	3810.00
48-2217031910102 नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	4.66	95.00	57.00	190.00	95.00
48-2217031920102 नगर परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	6.40	192.50	115.50	400.00	200.00
48-2217031930102 नगर पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	20.15	145.00	87.00	300.00	150.00
48-2217037890205 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	271.98	1440.00	1440.00	4800.00	1440.00
48-2217037890305 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	471.74	240.00	743.10	800.00	240.00
48-2217037960203 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	44.82	82.50	82.50	275.00	82.50
48-2217037960303 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	14.94	15.00	46.92	50.00	15.00
48-3475001080202 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	933.63	1237.50	1237.50	4125.00	1237.50
48-3475001080302 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	544.50	498.00	498.00	1660.00	498.00
48-3475007890202 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	252.00	960.00	960.00	3200.00	960.00
48-3475007890302 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	168.00	96.00	96.00	320.00	96.00
48-3475007960202 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	18.00	52.50	52.50	175.00	52.50
48-3475007960302 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	12.00	6.00	6.00	20.00	6.00
कुल योग	**14146.54**	**28503.00**	**29871.42**	**332309.91**	**99877.97**

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–51 समाज कल्याण विभाग					
51-2210061010113 बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना	300.00	300.00	300.00	1000.00	300.00
51-2235021010106 निर्धनों एवं निराश्रितों का कल्याण सहायक अनुदान	45.00	180.00	180.00	600.00	180.00
51-2235021010119 मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल)	180.00	90.00	30.00	600.00	180.00
51-2235021010121 मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना	3.90	30.00	40.00	300.00	120.00
51-2235021020117 आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना	4916.53	5017.17	5885.88	13369.80	6350.66
51-2235021020222 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	25179.66	58082.64	50387.17	77112.55	52436.53
51-2235021020223 एकीकृत बाल विकास स्कीम (आई0सी0पी0एस0)	2621.87	2400.00	2700.00	3499.98	1400
51-2235021020225 राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (आई0एस0एस0एन0आई0पी0 सहित)	4208.32	5944.96	13871.56	24019.60	16813.72
51-2235021020322 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	26717.70	17727.16	38818.51	23327.63	15862.79
51-2235021020323 एकीकृत बाल विकास स्कीम (आई0सी0पी0एस0)	3718.73	570.00	2900.00	2799.98	1120.00
51-2235021020325 राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (आई0एस0एस0एन0आई0पी0 सहित)	2068.34	990.90	3576.72	3002.45	2101.71
51-2235021020327 आंगनबाड़ी सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	15485.86	19961.82	20338.28	30173.58	20518.03
51-2235021040106 बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना	510.00	540.00	540.00	1800.00	540.00
51-2235021040107 मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना	226.50	300.00	300.00	1000.00	300.00
51-2235021040504 बिहार सामाजिक संरक्षण परियोजना (विश्व बैंक संपोषित)	2040.00	2400.00	2400.00	7100.00	2130.00
51-2235021060106 बाल दोषी, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना	945.30	510.00	1700.00	1800.00	540.00
51-2235021060107 बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना	350.00	129.00	430.00	294.96	89.00
51-2235022000103 कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	969.00	1020.00	960.00	2400.00	960.00

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–51 समाज कल्याण विभाग					
51-2235022000105 मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना	120.00	150.00	390.00	400.00	312.00
51-2235022000106 प्रदर्शनी, सेमिनार, सम्मेलन	0.00	4.50	15.00	15.00	4.50
51-2235027890103 आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना	1416.06	1707.97	1961.95	4456.60	2116.88
51-2235027890104 कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	480.00	480.00	440.00	1100.00	440.00
51-2235027890111 मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल)	60.00	60.00	60.00	200.00	90.00
51-2235031010101 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	0.00	9150.00	27500.00	44000.00	22000.00
51-2235031010102 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	0.00	90.00	121.50	38.00	15.39
51-2235031010201 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	20175.45	20356.50	31142.50	67500.00	33750.00
51-2235031010202 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	900.00	1200.00	1352.88	3600.00	1458.00
51-2235031010301 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	27305.93	7620.00	25000.00	23800.00	11900.00
51-2235031010302 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	512.74	180.00	486.00	800.00	324.00
51-2235031020203 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना	2097.09	2250.00	3197.90	7200.00	6984.00
51-2235037890101 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	0.00	2280.00	6550.00	13300.00	6650.00
51-2235037890103 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	0.00	30.00	40.50	15.00	6.07
51-2235037890201 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	5160.71	11100.00	14500.00	37500.00	18750.00
51-2235037890203 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	214.12	300.00	376.65	2200.00	891.00
51-2235037890301 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	5717.54	1950.00	7100.00	7500.00	3750.00
51-2235037890303 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	51.60	30.00	81.00	200.00	81.00
51-2235037960203 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	419.08	1543.50	1572.50	5000.00	2500.00
51-2235037960303 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	150.00	150.00	400.00	800.00	400.00
51-2235601020104 बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	8940.00	6000.00	11016.00	23700.00	8058.00

विपत्र कोड– स्कीम का नाम	2018–19 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2019–20 (जेंडर बजट अनुमान)	2019–20 (जेंडर पुनरीक्षित अनुमान)	2020–21 (कुल बजट अनुमान)	2020–21 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या–51 समाज कल्याण विभाग					
51-2235607890103 बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	1620.00	1500.00	2108.00	6300.00	2142.00
51-2236021010203 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	28829.15	41709.89	40093.98	89911.04	49451.07
51-2236021010303 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	25775.16	0.01	25463.61	0.01	0.01
51-2236027890204 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	7182.51	28650.07	10023.49	53725.39	29548.96
51-2236027890304 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	14320.24	20648.34	20648.33	35868.00	19727.39
51-2236027960305 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	5624.24	4152.50	4152.50	7524.00	4138.20
51-4235021020208 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	0.00	1448.87	0.00	2014.00	0.00
51-4235021020308 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
कुल योग	**247558.33**	**280935.81**	**381152.41**	**632867.59**	**347430.91**
महा योग	**1402377.18**	**2153187.32**	**2202032.96**	**5815213.84**	**2127432.99**

बिहार सरकार

वित्त विभाग
बिहार सरकार

Conceptualized, Designed & Printed by:
punament@gmail.com